

# भारतीय नागरिक

और

## उनकी उन्नति के उपाय

*Suggestions for the uplift of  
Indian Citizens.*

संग्रह

“मेरे सन्मुख वह भारतीय राष्ट्र है, जिसके प्रत्येक नागरिक को यथेष्ट अधिकार और सुविधायें प्राप्त हैं, परन्तु सब नागरिक अपना कर्तव्य और उत्तम्यत्व भी पहचानते हैं। मेरे राष्ट्र में दुख, दीनता और संघर्ष आदि का पता नहीं; सर्वत्र सुख, शान्ति, ग्रेम और परोपकार का दृश्य है।”

नागरिकों द्वारा लिखा

Library No.

भारतीय ग्रन्थ माला; संख्या १६८  
Date of Receipt.

# भारतीय नागरिक

और

## उनकी उन्नति के उपाय

HINDUSTANI ACADEM

Hindi Section

लेखक

Library No. 3562

Date of Receipt. १५०/३/

भारतीय शासन, नागरिक शिक्षा, और श्रद्धाभालि,

आदि के रचयिता

भगवानदास केला

प्रकाशक

व्यवस्थापक, भारतीय ग्रन्थमाला, वृन्दावन।

मुद्रक

बैलोक्यनाथ शर्मा, "जमुना प्रिंटिंग वर्क्स", मथुरा।

प्रथम संस्करण  
१००० प्रतियां

संख्या १९३० ई०

मूल्य आठ आने



थ्री० सेठ जमुनालाल जी बजाज; वर्धा ।

# समर्पण

—

वाणी, व्यवहार और आदर्श से

भारतीय नागरिकों की उन्नति

करने में लगे हुए

मारवाड़ी रत्न, सुहृदवर

श्री० सेठ जमुनालाल जी बजाज

की सेवा में

यह रचना श्रद्धा-पूर्वक समर्पित है।

— भगवानदास केला।



# निकेदन

चौतार्ता

यह पुस्तक अपने महत्व-पूर्ण विषय की दृष्टि से बहुत संक्षिप्त और छोटी है; और, जान बूझकर, यह ऐसी रखी गयी है। तथापि, इसे अवलोकन करने से यह ज्ञात हो जायगा कि इसमें पर्याप्त विचार-सामग्री है। कहीं कहीं तो इसकी एक एक बात, और एक एक वाक्य पर बहुत तर्क वितर्क होगा। अपने उत्तरदायित्व को ध्यान में रखकर, हमने इसे पुस्तकाकार छपाने से पूर्व 'कर्मवीर' तथा 'आज' आदि पत्रों में इस विषय के लेख प्रकाशित कराये, तथा समय समय पर कई विद्वानों से इस सम्बन्ध में विचार-विनिमय किया। हमें परामर्श देने वाले सज्जनों में श्री० पंडित जगन्नाथ जी शर्मा, एम.ए., एल-एल. बी०, मशुरा, तथा श्री० शंकर सहाय जी सकसेना एम. ए०, विशारद, प्रोफेसर बरेली कालिज, विशेष उल्लेखनीय हैं। श्री० सकसेना जी ने इस पुस्तक के लिए 'दो शब्द' लिखने की भी कृपा की है। हम इनके अत्यन्त कृतज्ञ हैं।

हम चाहते हैं कि भिन्न भिन्न विद्वान पाठक और लेखक इस पुस्तक में वर्णित विषय पर अपना मत प्रकट करके हमें कृतार्थ करें, जिससे अगले संस्करण में आवश्यक संशोधन और परिवर्द्धन किया जाय। यह तो स्पष्ट ही है कि हम उसी आलोचना से लाभ उठाए सकेंगे जो रचनात्मक हो, स्पष्ट हो, और व्यौरेवार हो। आशा है, आलोचक महाशय इसी दृष्टि से कुछ लिखने की कृपा करेंगे।

विनीत

भगवानदास केला,

## द्वौ शब्द

ऋग्वेद

श्रीयुत भगवानदास जी के ला का स्थान ठोस, उपयोगी तथा सुरुचि-पूर्ण साहित्य उत्पन्न करने वालों में बहुत ऊँचा है। उन्हें केवल एक ही धुन है, वह है देश में राष्ट्रीय जागृति को स्थायी रूप से प्रज्वलित करने वाले ठोस साहित्य को उत्पन्न करने की। महान आर्थिक कठिनाइयों को सहकर भी जो साहित्यिक तपस्या वे कर रहे हैं, उसकी चाहे आधुनिक पीढ़ी उपेक्षा करे, किन्तु भावी पीढ़ियां तो उसके मूल्य को अवश्य समझेंगी। इस पुस्तक में केला जी ने भारतीय नागरिकों की वर्तमान स्थिति का दिग्दर्शन कराते हुए यह बतलाया है कि सुखी तथा आदर्श जीवन के लिए समाज के भिन्न भिन्न अंगों को क्या क्या सुविधायें प्राप्त होनी चाहियें।

भारतीय समाज के विचारों में क्रान्ति उत्पन्न हो चुकी है। धार्मिक, राजनैतिक तथा सामाजिक जीवन में तेज़ी से ज्वार भाटे आरहे हैं; और उनकी बढ़ती हुई लहरें ग्राचीन रूढ़ियों तथा विचारों के जर्जर बांधों को ढाह देने की भरसक चेष्टा कर रही हैं। सम्भव है कि नवीन विचार-घटावों गुणनी सीमा को प्रिदाकर अनिदिक्षित पथ पर बढ़ने

लगें । वह स्थिति देश के भविष्य के लिए कितनी भयंकर होगी, यह समझना कठिन नहीं है ।

परिवर्तन आवश्यक है, इसमें सन्देह नहीं । यदि वर्तमान स्थिति ही समाज के लिए हितकर होती तो जनता की विचार-धारा ही क्यों बदलती ! आज देश में प्रत्येक वर्ग अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए आतुर दिखायी देता है । अद्यूत वर्ग ऊचे वर्गों का अन्याय नहीं सहना चाहते । मज़दूरों ने पूंजीपतियों को भीषण चेतावनी दे दी है । किसान और ज़मींदार अपने अपने अधिकार सुरक्षित रखने के लिए तुले हुए हैं । सबको अपने अपने स्वत्वों की चिन्ता है । परन्तु अधिकार सम्बन्धी इस सर्वव्यापी आनंदोलन में एक त्रुटि स्पष्ट रूप से दिखायी दे रही है । प्रत्येक वर्ग दूसरे वर्ग का अनुचित अधिकार नष्ट कर देने में ही अपनी सारी शक्ति लगा रहा है, परन्तु वे यह नहीं जानते कि उनकी उन्नति के लिए कौनसी सुविधायें आवश्यक हैं । यदि प्रत्येक वर्ग आवश्यक अधिकारों और सुविधाओं को जान लेने के बाद उनकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे तो सफलता मिल सकती है । यह पुस्तक समाज के भिन्न भिन्न वर्गों के सामने उनके आवश्यक अधिकारों और सुविधाओं को निश्चित रूप में रखने के लिए ही लिखी गयी है ।

प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने हमारे नागरिक जीवन का

परिचय कराते हुए हममें से प्रत्येक के सामने एक निश्चित प्रोग्राम रख दिया है। चाहे सम्पादक हो या लेखक, कारीगर हो या व्यापारी, विद्यार्थी हो या अध्यापक, प्रत्येक वर्ग का मनुष्य अपने लक्ष्य का निश्चित रूप इस पुस्तक में पा सकता है। पाठकों को इस पुस्तक के पढ़ने से ज्ञात हो जायगा कि भारतवर्ष के नागरिकों की कैसी हीन दशा है, और उसे सुधारने के लिए प्रत्येक वर्ग को क्या क्या अधिकार और सुविधायें दी जानी चाहियें। यद्यपि इस पुस्तक में मज़दूर और पूँजीपति, किसान और ज़मींदार आदि की कुछ ऐसी समस्याओं पर भी प्रकाश डाला गया है, जिनका निपटारा शीघ्र ही नहीं हो सकता, तथापि सब विषयों पर विचार निष्पक्ष होकर किया गया है। मैं आशा करता हूँ कि हिन्दी जनता में इस पुस्तक का उचित आदर होगा।

बरेली कालिज	}	शंकर सहाय सकसेना
ता० १६ अक्टूबर १९३०		एम. ए., विशारद.

---

# विषय सूची

—  
—

परिच्छेद	विषय		पृष्ठ
१—भारतीय नागरिक	...	...	१
२—नागरिकों के अधिकार	...	...	१७
३—नागरिकों के कर्तव्य	...	...	२४
४—नागरिक श्रेणियाँ	...	...	२९
५—किसान	...	...	३४
६—मज़दूर	...	...	३९
७—कारीगर	...	...	४५
८—व्यापारी और दूकानदार	...	...	४७
९—सार्वजनिक नौकर	...	...	५०
१०—मानसिक कार्य करने वाले	...	...	५३
(क) लेखक			
(ख) सम्पादक			
(ग) अध्यापक			
११—मनोरंजन करने वाले	...	...	६६
१२—महन्त	...	...	६८
१३—महिलायें	...	...	७३
१४—बालक	...	...	७८
१५—विद्यार्थी	...	...	८१
१६—दलित जातियों के आदमी	...	...	८५
१७—पूँजीपति और ज़र्मीदार	...	...	८८
१८—ग्राम और नगर निवासी	...	...	९३
१९—देशी नरेश	...	...	१०३
२०—पारिभाषिक शब्द	...	...	१ से ८

—  
—

# भारतीय नागरिक

और, उनकी उन्नति के उपाय

चून्डि

## फहला फरिच्छेद

### भारतीय नागरिक

“भारत माता के मन्दिर की ये ३३ करोड़ ईंटें जो इधर उधर विखरी हुई हैं, इनमें बड़ा तेज और चमक है। कारीगर की चतुरता से एकत्र होने पर इनसे एक बड़ा विशाल मन्दिर बन सकता है और ऐसा मन्दिर, जिसकी ऊँचाई के सामने विश्व की सारी शक्तियों को अपना सिर झुकाना पड़े।”

— ‘भारतीय राष्ट्र’ से ।

**प्राक्थन**—जिस प्रकार किसी भवन की ढाढ़ता उसके निर्माण में काम आने वाली ईंटों की मज़बूती पर निर्भर होती है, इसी प्रकार प्रत्येक देश या राज्य की उन्नति का आधार उसके निवासी — नागरिक — होते हैं। जिस राज्य के नागरिकों को अपनी विविध शक्तियों के विकास का

समुचित अवसर नहीं मिलता, अपनी उन्नति करने, तथा अपने विविध कर्तव्य पालन करने के लिए यथेष्ट अधिकार और सुविधायें नहीं होतीं, वह राज्य कदापि उन्नत नहीं हो सकता। यदि हम चाहते हैं कि भारतवर्ष की गणना अवनत और पिछड़े हुए देशों में न होकर, संसार के सभ्य, स्वाधीन, और उन्नत राज्यों में हो, और, यह विश्व में अपने महान कर्तव्य का पालन करे, तो हमें यह विचार करना आवश्यक है कि यहां के नागरिकों के क्या अधिकार और कर्तव्य होने चाहिये; तथा उन्हें अपने अपने व्यवहार को सुगमता से चलाने के लिए क्या क्या सुविधा मिलनी चाहिये। इस पुस्तक में ऐसी ही उपयोगी बातों का विचार किया जायगा।

पहले यह जान लेना ज़रूरी है कि 'नागरिक' से क्या अभिप्राय होता है; भारतवर्ष में कुल मिलाकर, तथा भिन्न भिन्न भागों में उनकी संख्या कितनी है, वे किन किन धर्मों के अनुयायी हैं, उनकी सामाजिक और आर्थिक, स्वास्थ तथा शिक्षा सम्बन्धी, एवं कानूनी स्थिति कैसी है।

**नागरिक**—'नागरिक' शब्द 'प्रजा' का पर्यायवाची है। 'प्रजा' शब्द अर्धीनता सूचक होने के कारण, 'नागरिक' शब्द का व्यवहार बढ़ता जा रहा है। 'नागरिक' का अभिप्राय केवल नगर में रहने वाले से ही नहीं है, गांवों या

क़स्बों के रहने वाले प्रजा-जन भी नागरिक ही कहलाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी देश में वंशागत क्रम से रहता आया हो, और राज्य के नियमों का पालन करता हो, उस देश का नागरिक होता है।

बाहर के निवासियों को नागरिक बनाने के सम्बन्ध में भिन्न भिन्न देशों के अपने अपने नियम हैं। कुछ स्थानों में एक निर्धारित समय (पांच वर्ष या कुछ कम ज्यादह) निवास करने, तथा राज्य-नियमों के पालन करने वालों को नागरिक मान लिया जाता है। प्रायः विवाहित स्त्रियां अपने पति के देश की, तथा वज्रे अपने पिता के देश के, नागरिक समझे जाते हैं। भारतीय नागरिक से उस व्यक्ति का आशय लिया जाता है (क) जिसने भारतवर्ष में जन्म ग्रहण किया है, अथवा जिसका पिता यहीं पैदा हुआ, और बसा है, और दूसरे देश में बसकर वहां की नागरिकता का अधिकारी नहीं हो पाया है, और (ख) जो सामयिक कानून के अनुसार भारतवर्ष का अधिवासी हो गया है। [अन्य देशों का व्यक्ति, जब तक अपने देश की नागरिकता के अधिकार छोड़ नहीं देगा, भारतवर्ष का नागरिक नहीं हो सकता।]

यह स्पष्ट है कि नागरिकता में ऊँच नीच, जाति विराद्दी, छूट या अछूट, धर्म सम्प्रदाय, आदि का लिहाज़ नहीं होता।

हिन्दू, सुसलमान, ईसाई पार्सी, या बौद्ध सब भारतवासी, भारतीय नागरिक हैं।

**नागरिकों की संख्या**—भारतवर्ष में लगभग बत्तीस करोड़ आदमी रहते हैं; साड़े सोलह करोड़ पुरुष, और साड़े पन्द्रह करोड़ स्त्रियाँ। कुल जन संख्या पच्चीस करोड़ ब्रिटिश भारत की, और सात करोड़ देशी रियासतों की है। मोटे हिसाब से यहीं संख्या यहां के नागरिकों की कही जा सकती है; यहां कुछ थोड़े से आदमी ऐसे हैं जो यहां के नागरिक नहीं माने जाते, तो यहां के कुछ नागरिक विदेशों में भी गये हुए हैं।

अस्तु, अब हम भारतीय नागरिकों की संख्या की वृद्धि और हास पर भी तनिक विचार करलें। यहां विवाह और सन्तानोत्पत्ति धार्मिक कर्तव्य सा है।\* ब्रिटिश भारत में प्रति वर्ष फी हजार जनता में लगभग ३४ बच्चे प्रति वर्ष उत्पन्न होते हैं। नागरिकों की इतनी अधिक उत्पत्ति - संख्या बहुत कम सभ्य देशों में है। यद्यपि आजीविका के साधनों की

\* अनेक माता पिता अपनी सन्तान का, जैसे बने, विवाह कर देना आवश्यक समझते हैं। वे सोचते हैं कि न मालूम कब मर जाय, अपने जीते जी बालकों का घर बसाऊं और नाती पोते देखने का 'सौभाग्य' प्राप्त करें। फलतः बहुत से विवाह बहुत ही छोटी अवस्था में हो जाते हैं। इन्हें रोकने के लिए सरकारी और गैर-सरकारी प्रयत्न हो रहे हैं।

कसी, मंहँगी तथा विविध बीमारियों के कारण, यहां की मृत्यु-संख्या (फी हजार, २६) भी भयंकर रूप से अधिक है; तथापि नागरिकों की वृद्धि होती जारही है। इस समय विशेष आवश्यकता यह नहीं है कि नागरिकों की संख्या बढ़े, वरन् यह है कि नागरिक सुयोग्य, सुशिक्षित, स्वस्थ और बलवान हों।

**धर्म तथा जाति—**— यद्यपि भारतवर्ष में प्रचलित मत मतान्तरों की सूची काफ़ी बड़ी कही जा सकती है, यहां के मुख्य धर्म, और उनके अनुयायियों की संख्या इस प्रकार है:-  
 (१) हिन्दू [जिनमें सनातन धर्मी, आर्य समाजी, ब्रह्म समाजी, सिख, जैन, बौद्ध आदि सम्मिलित हैं], सवा तेहस करोड़;  
 (२) मुसलमान [शीया, सुन्नी आदि] ७ करोड़;  
 इसाई [रोमन क्रेथलिक, प्रोटोस्टैट आदि] ४८ लाख; और पार्सी, १ लाख। शेष जनता में पहाड़ी आदि ऐसे आदमी हैं जिनका सरकारी रिपोर्ट में कोई धर्म नहीं लिखा गया है।

मत मतान्तरों की भाँति भारतवर्ष में जाति उपजातियों की संख्या भी बहुत बड़ी हुई है। अब कुछ समय से इस ओर ध्यान दिया जाने लगा है, सामाजिक जागृति हो रही है। जाति विरादी का भेद भाव क्रमशः घटता जा रहा है। 'जाति पांति त्रोड़क मंडल' आदि का संगठन नयी दिशा की सूचना है।

**सामाजिक दशा—**—सामाजिक परिस्थिति सूचक बातों में, वाल विवाह का उल्लेख पहले हो चुका है। यहां रंडुओं की संख्या जनता में एक हजार पीछे ६४ है, यह योरपियन देशों की तुलना में बहुत अधिक नहीं है। परन्तु विधवाओं की संख्या यहां भयंकर रूप से बढ़ी हुई है; यह फी हजार १७५ है। दुःख की बात है कि यहां एक एक वर्ष से कम उम्र की भी छः सौ बालिकाओं की गणना विधवाओं में की जाती है। जबकि लियों की विवाह के योग्य आयु पन्द्रह वर्ष मानी जानी चाहिये, यहां इतनी उम्र की लगभग सवा तीन लाख विधवायें हैं। यद्यपि कुछ विधवायें अपना जीवन संयम और शान्ति से बिताती, और बिता सकती हैं, ये बातें अपने अपने मन की वृत्ति से सम्बन्ध रखती हैं, और साधारण विधवाओं से बहुत अधिक आशा रखना, और इन्हें पुनर्विवाह करने से रोकना ठीक नहीं कहा जा सकता।

समाज के अन्य अंगों में 'अद्वृत' समझे जाने वालों की दशा शोचनीय है। पिछली मनुष्य गणना के अनुसार इनकी संख्या लगभग साढ़े पाँच करोड़ थी। इनके सम्बन्ध में जनता के विचार क्रमशः उदार होते जारहे हैं, तथापि अभी बहुत कार्य करना शेष है। नागरिक जीवन को उन्नत बनाने के लिए यह आवश्यक है कि किसी भी जाति के, तथा किसी भी प्रकार का कार्य करने वाले, आदमी से वृणा का भाव न रखा जाय, उसे नीच या अद्वृत न समझा जाय।

भारतवासियों की भिक्षा या दानादि देने की रीति भी बहुत विचारणीय और संशोधनीय है। यहां भिखारियों के वर्तमान अक ठीक ठीक नहीं मिलते, तथापि अनुमान से उनकी संख्या पचास साठ लाख होगी; इनके अतिरिक्त यहां बहुत से अन्य आदमियों की भी आजीविका दान-दक्षिणा आदि ही है। वास्तव में यहां दानशीलता का यथेष्ट सुदृपयोग बहुत कम होता है। लोगों का परावलम्बी होना (मुफ्त की रोटी खाना), तथा उनके ऐसा होने में सहायता करना, दोनों बातें अनिष्टकारी हैं। इसमें क्रमशः सुधार होरहा है।

**उद्योग धन्धे—**भारतवर्ष में अधिकांश आदमियों का मुख्य धन्धा खेती है। यहां तेईस करोड़ आदमी कृषि, उद्यान, पशु पालन, और खणिज द्रव्य निकालने आदि से होने वाली आय पर आश्रित रहते हैं। दस्तकारी का आधार साढ़े तीन करोड़ आदमियों को, और व्यापार का, दो करोड़ को है। शेष आदमी नौकरी आदि भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो कोई उत्पादक कार्य नहीं करते, भिक्षा आदि पर निर्भर रहते हैं; इनके विषय में पहले कहा जा चुका है।

**औसत आय—**मिं डिघी ने सन् १९०१ ई० में भारतीयों की औसत सुलाना आमदनी १८ रु० ९ आने सिद्ध की थी। लाई कर्जन की सरकारी जांच से उसके समय

की, यह आय प्रति वर्ष तीस रु० अर्थात् प्रति दिन १६ पाई बैठी। प्रो० काले के हिसाब से सन् १९२०-२१ में भारत-वासियों की वार्षिक आय प्रति मनुष्य ३६ रु० थी, जो तीन रुपये प्रति मास अर्थात् छः पैसे प्रति दिन होती है। कुछ और सज्जनों ने भी समय २ पर अपनी अपनी जांच का फल प्रकाशित कराया है। कुछ देहातों की विशेष रूप से जांच की गयी है। इन सब हिसाबों का औसत लगाने से मालूम होता है कि किसानों की (जो भारतीय जन संख्या का अधिकांश हैं) वार्षिक आमदनी ३० रु० से ४० रु० तक है। मद्रास सरकार ने हिसाब तैयार कराया था उससे लोगों की औसत आमदनी १००) वार्षिक ठहरती है। सरकारी अधिकारियों तथा कुछ अन्य आदमियों का कथन है कि भारतवर्ष में नगर निवासियों की वार्षिक आय १००) तथा ग्रामीणों की ७५) है। सम्भव है कि भारतवर्ष के कुछ खास नगरों और कुछ खास ग्रामों के सम्बन्ध में यह हिसाब ठीक हो, परन्तु सारे भारतवर्ष के लिए हम इन अंकों को कदापि ठीक नहीं समझते। फिर, इस सम्बन्ध में, स्मरण रहे कि इस औसत निकालने में, देश के राजा महाराजाओं तथा अन्य पूंजीपतियों, व्यापारियों, ताल्लुकेदारों और जर्मांदारों की आमदनी को भी हिसाब में शामिल किया जाता है। यदि इसे अलग कर दिया जाय, तो साधारण आदमियों की आय और भी कम रहेगी।

इसकी हुलना कैदियों के खर्च से कीजिये। सरकारी रिपोर्ट से मालूम हुआ है कि सन् १९२० ई० में यहां उन के लिए किया हुआ केवल भोजन वस्त्र और स्वास्थ सम्बन्धी खर्च प्रति मनुष्य ७५ रु० था। इस हिसाब में मकान का किराया, औषधियों तथा अन्य आवश्यकताओं का खर्च शामिल नहीं है। इससे स्पष्ट है कि ७५ रु० से कम वार्षिक आय वालों का जीवन कैदियों से भी खराब है। फिर, जिनकी आमदनी इससे भी कम है, उनकी दुर्दशा का क्या ठिकाना ? उनके जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएँ कैसे मिलें ? और “विभूक्षितो किन्न करोति पापम्”; उन लोगों की नैतिक अवस्था ही कैसे अच्छी रह सकती है !

**आर्थिक स्थिति; रोटी कपडे आदि का विचार—**  
 भारतवर्ष में अधिकतर — ७० फी सदी से अधिक—आदमियों का जीवन—निर्वाह कृषि पर निर्भर है। जिस साल अति वृष्टि या अनावृष्टि के कारण फ़सल खराब होजाती है, देशभर में हाहाकार मच जाता है। यहां दुर्भिक्षों की संख्या और प्रभाव बढ़ता जा रहा है। पहले जब रेलों का प्रचार नहीं था, एक जगह का अन्न देश के दूसरे भाग में लाने लेजाने की सुविधा न थी (और विदेशों को अन्नादि बिलकुल न जाता था), तो जिस नगर या प्रान्त में फ़सल खराब होजाती थी, वहां के आदमी कष्ट पाते थे; परन्तु अब तो मंहगी प्रायः व्यापक रूप धारण कर लेती है।

यद्यपि उत्पत्ति की कुल मात्रा की वृष्टि से भारतवर्ष का संसार में अच्छा स्थान है; यहाँ के बंतीस करोड़ निवासियों की आवश्यकता को देखते हुए यहाँ उपज बहुत कम है। फिर उसमें से भी एक अच्छे अंश को, धनवान विदेशी खरीद कर अपने अपने देशों में ले जाते हैं। यहाँ दस्तकारी और उद्योग धन्धों की यथेष्ट उन्नति और प्रचार न होने के कारण, यहाँ वालों को अपनी वस्त्र आदि की आवश्यकता विदेशी माल से करनी होती है, उसका मूल्य इन्हें अपना अन्नादि बेचकर चुकाना होता है। इससे यहाँ खाद्य पदार्थों की और भी कमी होजाती है।

हिसाब से मालूम हुआ है कि यहाँ प्रति मनुष्य गेहूं और चावल का दैनिक उपभोग कुल मिलाकर साँत छटांक है। यहाँ के आदमी अधिकतर शाक-भोजी ही हैं। इस बात को ध्यान में रखकर जब हम देखते हैं कि मांस-भोजी अमरीका के निवासियों का गेहूं का दैनिक उपभोग प्रति मनुष्य दस छटांक है तो यह स्पष्ट होजाता है कि हमारे बहुत से निर्धन आदमी घटिया अन्धों का उपभोग करते हैं, और प्रायः बीमार पड़ते हैं; और अनेक तो भूखे ही मरते हैं।

अब, कल्पड़ी की बात लीजिये। यद्यपि देश में कुछ शौकीन या धनी आदमी ऐसे हैं जो दिखावे के लिए, तरह तरह

के कपड़े रखते हैं, पर उनकी संख्या बहुत कम है। निस्सन्देह यहां बहुत से आदमी अपनी अत्यन्त आवश्यकता के लिए भी काफी वस्त्र हीं पाते।\* गांवों में और शहरों में अनेक आदमी फटे पुराने कपड़ों पर निर्वाह करते हुए पाये जाते हैं। कितने ही तो वस्त्राभाव के कारण सर्दी में निमोनिया आदि के शिकार होते हैं, और बहुत से अभागे अपनी लज्जा भी अच्छी तरह निवारण कर सकने में असमर्थ रहते हैं।

भारतवर्ष में गुड़, खांड और तम्बाकू का खर्च अपेक्षाकृत अधिक है; और मादक द्रव्यों का सेवन बढ़ता जा रहा है। परन्तु इससे लोगों की आर्थिक स्थिति का अच्छा होना, सिद्ध नहीं होता। मिठाई का खर्च अधिक होने का एक मुख्य कारण सामाजिक परिस्थिति है; यहां प्रायः जन्मोत्सव, विवाह शादी, मृतक संस्कार तथा त्यौहार आदि के अवसरों पर सहभोज की रीति है, जिसे अनेक आदमी निर्धन और क्रष्ण-प्रस्त होते हुए भी पालते हैं। तम्बाकू और मादक पदार्थों के उपभोग से भी लोगों के रहन सहन का दर्जा ऊचा नहीं कहा जा सकता, यह तो व्यसन है, जिनके लिए आदमी बहुधा अपने अपने अन्न वस्त्रादि जीवन-रक्षक पदार्थों में भी कमी करने को वाध्य हो जाते हैं।

\* ऐसा अनुमान है कि सामाजिक स्थिति के परिवारों में, प्रत्येक व्यक्ति को औसत से लगभग १६ गज़ कपड़े की आवश्यकता होती है।

**स्वास्थ**—किसी देश के नागरिकों के स्वास्थ की दशा जानने का एक स्थूल साधन उनकी औसत उम्र होती है। भारतवासियों की औसत उम्र २४.७ वर्ष है, जो बहुत ही कम है। इंग्लैंड अमरीका और न्यूज़ीलैंड में यह उम्र क्रमशः ५१, ५५ और ६० वर्ष है।

भारतवर्ष में औसत उम्र का इतना कम होना, इस बात का प्रमाण है कि यहाँ जनता का स्वास्थ अच्छा नहीं है, और उसके सुधारने की अत्यन्त आवश्यकता है। यहाँ बहुत से आदमी छोटी उम्र में मर जाते हैं। बच्चों की मृत्यु-संख्या तो बहुत ही भयंकर है। यहाँ प्रति वर्ष भिन्न भिन्न आयु के जितने पुरुष खी मरते हैं, उनमें से पांचवां हिस्सा छोटे बच्चे ही होते हैं। और, जितने बच्चे जन्म लेते हैं, उनमें से बीस फी सदी एक साल की उम्र होने से पूर्व ही, काल के ग्रास बन जाते हैं। प्राप्त अंकों से मालूम होता है कि मरने वाले बच्चों में से चालीस फी सदी पहले सप्ताह के भीतर ही मर जाते हैं, और एक महीने के अन्दर तो यह अनुपात साठ फी सदी होजाता है।

**बीमारियाँ**—भारतवर्ष में बुखार, और पेट की तथा फेकड़ों की बीमारी ने बेढ़ब अड़ा जमाया हुआ है। चर्म रोग (फोड़े फुन्सी आदि) भी बहुत दुखदायी हैं। आगे दिये हुए अंकों से यह ज्ञात होगा कि ब्रिटिश भारत में

सन् १९२७-२८ ई० में विशेषतया किन किन बीमारियों के कितने कितने नागरिक शिकार हुए :—

रोग	मृत्यु संख्या	फी हजार औसत
हैज़ा	१,३८,१५१	४७
शीतला	१,१७,०६६	४८
हुग	१,९६,२४९	८९
बुखार	३७,५८,१७६	१५४६
पेचिश	२,५६,२९३	१०६
श्वास रोग	३,७८,८१४	१५७
अन्य रोग	१६,१५,८७१	६६९
योग	६४,६०,६२०	२६७४

शिक्षा—सुयोग्य नागरिक बनने के लिए शिक्षा की बड़ी आवश्यकता होती है। परन्तु भारतवर्ष में इसका प्रचार बहुत कम है। यहाँ पढ़े लिखे आदमियों की संख्या अत्यन्त असंतोष-प्रद है। पिछली मनुष्य गणना के समय उनकी कुल संख्या २ करोड़ २६ लाख, अर्थात् कुल जनता की ७ फी सदी थी। यदि पांच वर्ष से कम आयु वालों को छोड़ दिया जाय तो यह संख्या ८ फी सदी बैठती है। पुरुषों

और स्थियों का अलग अलग हिसाब लगाया जाय तो पांच वर्ष से अधिक उम्र के सौ पुरुषों में १४ और सौ स्थियों में २ कुछ पढ़ी लिखी हैं। अन्य अनेक सभ्य देशों में कुल जनता में से लगभग १० फी सदी या इससे भी अधिक पढ़े हुए या पढ़ने वाले होते हैं। और, क्यों कि इस हिसाब में पांच वर्ष से कम उम्र वाले भी शामिल होते हैं, यह कहा जा सकता है कि वहां प्रायः सभी शिक्षित या शिक्षा पाने वाले होते हैं।

इससे स्पष्ट है कि यहां नागरिकों में शिक्षित व्यक्ति बहुत कम हैं। खेद है कि यहां शिक्षा प्रचार का वह कार्य भी बहुत थोड़े पैमाने पर हो रहा है, जिससे भविष्य में राष्ट्र के पूर्णतः शिक्षित होने की आशा हो।

**भाषा—**कुछ हिसाब लगाने वाले भारतवर्ष में प्रचलित भाषाओं की संख्या सैकड़ों पर बताते हैं, परन्तु उनके हिसाब में बोलियों को भी भाषा माना हुआ होता है। प्रायः प्रत्येक देश में मुख्य भाषाओं से मिलती जुलती कुछ बोलियां होती हैं, यदि इनकी गिनती भाषाओं में करली जाय तब तो हर एक देश की भाषाओं की संख्या कई गुणी होजानी सहज है। अस्तु, भारतवर्ष की मुख्य भाषाएं अंगुलियों पर गिनी जा सकती हैं। मोटे हिसाब से उनके बोलने वालों की संख्या इस प्रकार है:— (१) हिन्दी, (या हिन्दुस्थानी)

तेरह करोड़; (२) बंगला, पांच करोड़; (३) मराठी, दो करोड़, (४) गुजराती, एक करोड़; (५) उड़िया, एक करोड़; (६) तामिल दो करोड़; (७) तेलगू, दो करोड़; (८) कनारी, एक करोड़; (९) ब्रह्मी, एक करोड़। इनमें से प्रथम पांच भाषायें संस्कृत से घनिष्ठ सम्बन्ध रखने के कारण, परस्पर में एक दूसरे से बहुत मिलती जुलती हैं।

**कानूनी स्थिति**—सभ्य और उच्चत राज्यों में ‘नागरिक’ शब्द से जैसी कल्पना की जाती है, वहां नागरिकों के जो अधिकार होते हैं; उन्हें ध्यान में रखते हुए जब हम भारतवासियों की कानूनी स्थिति का विचार करते हैं, तो मालूम होता है कि वास्तव में उन्हें ‘नागरिक’ कहा जाना अनुचित है। यहां पर कई ऐसे कानून हैं जिनसे उनकी वैयक्तिक स्वतंत्रता और, सभा करने, लेख लिखने और भाषण देने की स्वतंत्रता में, तथा यथेष्ट अन्न रखने आदि में वाधा उपस्थित होती है। एक कानून के अनुसार, किसी व्यक्ति को बिना उसका अपराध बताये गिरफ्तार किया जा सकता है, और बिना उस पर मुकद्दमा चलाये चाहे जितने समय तक कैद, नज़रबन्द या निर्वासित किया जा सकता है। यह कानून किसी विशेष परिस्थिति या निर्धारित समय के लिए नहीं है। इसे बने सौ वर्ष से अधिक होगये, अभी तक रद्द नहीं हुआ। अधिकारी जब चाहें, इसका उपयोग कर सकते हैं। यहां

अनेक आदमियों का खुली और वैध अदालत की जांच के बिना अराजक, या राजनैतिक अपराधी मान लिया जाना, और फिर इन्हें अपनी सफाई का काफी अवसर न मिलना साधारण अनुभव है।

अस्तु, भारतीय नागरिकों की कानूनी स्थिति बहुत असन्तोष-प्रद है। उनकी सामाजिक, आर्थिक आदि दशा भी बड़ी खराब है। जब इन बातों में यथेष्ट सुधार होगा, जब नागरिक की समुचित उन्नति होगी, तथा उन्हें अपनी शक्तियों को समुचित विकास करने और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अपना समुचित कर्तव्य पालन करने का अवसर मिलेगा, तभी भारतवर्ष उन्नत और सभ्य राष्ट्रों की गणना में आयेगा; तभी यह देश संसार में उस कल्याणकारी पद को प्राप्त करेगा, जिसे हम इस के लिए प्राप्त करना चाहते हैं।

अगले पृष्ठों में हम क्रमशः यह विचार करेंगे कि भारतीय नागरिकों की उन्नति किस प्रकार हो सकती है, उसके क्या क्या उपाय हैं।

# दूसरा परिच्छेद

## नागरिकों के अधिकार

“ जहां पर कोई श्रेणी, कोई परिवार, बा कोई मनुष्य कल्पित दैवी अधिकार से, या जन्म ( वंश ) या धन के कारण, दूसरों पर प्रभुत्व प्राप्त कर लेता है, वहां स्वाधीनता नहीं होती । स्वाधीनता सब के लिये, और सब की दृष्टि में होनी चाहिये ।

—जोज़फ़ मेज़िनी ।

**प्राक्थन**—हम पहले बता आये हैं कि भारतीय नागरिकों की यथेष्ट उन्नति होने की अत्यन्त आवश्यकता है । उनकी उन्नति तभी हो सकती है, जब उन्हें अपनी विविध शक्तियों के समुचित विकास के लिए पूर्ण अवसर मिलें, उन्हें यथेष्ट अधिकार प्राप्त हों । यद्यपि हम कर्तव्यों की उपेक्षा करके नागरिकों के अधिकार-आन्दोलन के कदायि समर्थक नहीं हैं, हम अपने भारतीय बंधुओं की उस मनोवृत्ति को भी अच्छा नहीं समझते जिससे वे अपने न्यायोचित अधिकारों की प्राप्ति का समुचित प्रयत्न नहीं करते । निदान, अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों की प्राप्ति का यत्न, तथा प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते रहना चाहिये । स्मरण रहे कि नागरिक अधिकार

सब के लिए समान होते हैं। हाँ, देश के अपरिपक्व तथा विकृत अंगों को, अर्थात् नाबालिगों और पागलों को, सब अधिकार नहीं दिये जाते; उन्हें छोड़ कर अन्य नागरिकों में में धनी निर्धन, जाति विरादी, ऊंच नीच, या मत मतान्तर आदि की दृष्टि से कोई भेद भाव नहीं रखा जाता।

अस्तु; अब यह बताया जायगा कि भारतीय नागरिकों के क्या अधिकार होने चाहियें। आगे दी हुई अधिकार-सूची का बहुत कुछ आधार भारतीय नेताओं के सर्व दल सम्मेलन द्वारा तैयार किया हुआ स्वराज्य का मसविदा है। इस बात को विस्तार से कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस समय भारतीय नागरिकों के अधिकार बहुत ही कम हैं; पिछले परिच्छेद में बतलायी हुई उन की वर्तमान स्थिति इसका अकाद्य प्रमाण है।

नागरिकों के अधिकार—अब, भविष्य के लिए भारतीय नागरिकों के अधिकार निम्न लिखित होने चाहियें \*:—

पृष्ठ १—सरकार की सब शक्तियां, और शासन व्यवस्था, तथा न्याय सम्बन्धी सब अधिकार जनता से प्राप्त होते हैं,

यहाँ पर अधिकार संक्षेप में ही बतलाये गये हैं। जो पाठक इस विषय पर विशेष आलोचनात्मक विवेचन देखना चाहें, वे हमारा 'नागरिक शास्त्र' अवलोकन करें।

उनका प्रयोग कानून के अन्तर्गत तथा कानून से स्थापित संस्थाओं द्वारा होना चाहिये ।

२—किसी नागरिक की स्वाधीनता अपहरण न की जानी चाहिये । उसके घर या जायदाद में किसी को बिना उस की अनुमति प्रवेश न करना चाहिये, न ये उस से छीने जाने या ज्ञान किये जाने चाहियें, जब तक कि कानून ऐसा करने की अनुमति न दे ।

३—सार्वजनिक शान्ति और नीति की रक्षा करते हुए, सब व्यक्तियों को अपनी अपनी इच्छानुसार धार्मिक विश्वास रखने, धर्म मानने, और उपासना करने की स्वतंत्रता होनी चाहिये ।

४—नागरिकों को अधिकार होना चाहिये कि अपनी इच्छानुसार स्वभत प्रकाशित कर सकें; वे शान्ति पूर्वक, बिना शर्तों के एकत्र हों सकें, तथा सभा समितियों की रचना कर सकें; हाँ, उनका उद्देश्य सार्वजनिक शान्ति और नीति, तथा मानवानि विषयक कानून के विरुद्ध कार्य करना न होना चाहिये ।

५—नागरिकों को निश्चल प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिये, और उन्हें अपने इस अधिकार का उपयोग उसी समय से करने देना चाहिये, जब अधिकारी उक्त शिक्षा की व्यवस्था करलें ।

६—सरकारी या सार्वजनिक सहायता पाने वाली शिक्षा-संस्थाओं में पढ़ने वाले नागरिकों को, उन संस्थाओं में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए, वाध्य नहीं किया जाना चाहिये ।

७—कानून के सामने सब नागरिक समान हैं, और सब के नागरिक स्वत्व समान होने चाहिये । सरकारी कर्मचारियों के मुक़द्दमों का विचार साधारण न्यायालयों में होना चाहिये ।

८—दंड सम्बन्धी कोई मूल अथवा प्रणाली-विषयक कानून ऐसा नहीं होना चाहिये जिसके अनुसार भिन्न भिन्न श्रेणियों में कुछ भेद माना जाय ।

९—अभियोग लगाये जाने पर, प्रत्येक नागरिक को न्यायालय से 'हेबियस कारपस' अर्थात् शारिरिक स्वतंत्रता का आदेश प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिये ।\* यह अधिकार सिर्फ़ युद्ध अथवा राज्य-क्रान्ति के समय, केवल केन्द्रीय व्यवस्थापक सभा द्वारा, स्थगित किया जाना चाहिये ।

१०—किसी नागरिक को ऐसे काम के लिए 'सज्जा नहीं

\* इसके अनुसार, बिना वारंट गिरफ्तार हुए व्यक्ति के छुटकारा पाने, तथा वारंट से गिरफ्तार व्यक्ति के जमानत पर छोड़ दिये जाने, या उसका शीघ्र विचार किये जाने, की व्यवस्था होती है ।

मिलनी चाहिये, जो उस काम के किये जाने के समय कानून के अनुसार दंडनीय न हो ।

११—कानून के अनुसार कोई ऐसा शारिरिक या अन्य प्रकार का दंड, नहीं दिया जाना चाहिये, जो कष्टप्रद हो ।

१२—राज्य में, या उसके किसी ग्रान्त में कोई धर्म राज-धर्म नहीं माना जाना चाहिये । राज्य को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में किसी धर्म की कोई सहायता नहीं करनी चाहिये; न राज्य द्वारा नागरिकों को उनके धार्मिक विश्वास या पद के कारण कोई विशेष अधिकार दिया जाना, या उन से छीना जाना चाहिये ।

१३—धर्म, जाति, या विश्वास विशेष के कारण, किसी नागरिक से, उसके राज्य की नौकरी, या मान प्रतिष्ठा आदि पाने या रोज़गार करने में कोई पक्षपात् नहीं किया जाना चाहिये ।

१४—प्रत्येक नागरिक को शख्त रखने और लेकर चलने का अधिकार, इस विषय के कानून के अनुसार, होना चाहिये ।

१५—नागरिक की हैसियत से, पुरुषों तथा स्त्रियों के अधिकार समान होने चाहिये ।

१६—सार्वजनिक सड़कों, कुओं, तथा अन्य सार्वजनिक

स्थानों परं संस्थाओं के उपयोग का, सब नागरिकों को समान अधिकार होना चाहिये ।

१७—मज़दूरों की उन्नति तथा आर्थिक स्थिति के सुधार के लिए भिन्न भिन्न पेशे वालों के संघ या समितियां संगठित करने का अधिकार सब नागरिकों को होना चाहिये । जिन समझौतों या नियमों से, नागरिकों की यह स्वतंत्रता घटती हो या इसमें वाधा उपस्थित होती हो, वह गैर-कानूनी समझे जाने चाहिये ।

१८—नौकरी सम्बन्धी कोई प्रतिज्ञा या कंट्रैक्ट (Contract) तोड़ना या उस में सहायता करना दंडनीय नहीं माना जाना चाहिये ।

१९—स्वयं किसी की हत्या करने या राजद्रोह करने के अपराध को छोड़ कर और किसी भी अपराध के लिए किसी नागरिक को प्राण दंड न होना चाहिये ।\*

२०—समस्त देश की राज-भाषा हिन्दुस्थानी होनी चाहिये जो देवनागरी या फ़ारसी लिपि में लिखी जाय । अंगरेज़ी का उपयोग किया जा सके । प्रत्येक प्रान्तीय सरकार

\* यह केवल वर्तमान परिस्थिति के लिए है, इस वैसे इस दंड के सर्वथा उठाये जाने के पक्ष में है ।

की राज-भाषा वह हो जो उस प्रान्त की प्रधान भाषा हो, पर हिन्दुस्थानी या अंगरेजी का उपयोग हो सके।

२१—जब तक भारतवर्ष ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत है, यहां के नागरिकों को इस साम्राज्य के प्रत्येक भाग में जाने आने, निवास करने, योग्यतानुसार पद या नौकरी प्राप्त करने तथा व्यापार आदि से आजीविका कमाने का अधिकार होना चाहिये; तथा, साम्राज्य सम्बन्धी विचार करने वाली संस्थाओं में प्रतिनिधि भेजने आदि के बह सब अधिकार होने चाहियें, जो साम्राज्य के स्वतंत्र भागों के नागरिकों को हैं।

# तीसरा परिच्छेद

## नागरिकों के कर्तव्य

“कर्तव्य—ज्ञान—युक्त भारत में कोई दुख या कष्ट न रहेगा। परस्पर के बाद विवाद, भेद भाव और लड़ाई झगड़ों का अन्त हो जायगा। सब नागरिकों की उच्च शिक्षा, उत्तम स्वास्थ, और यथेष्ट आजीविका की व्यवस्था होगी। शहरी और देहाती, अमीर गरीब, राजा प्रजा, मालिक व नौकर, तथा व्यापारी व कृषक सब अपने तर्दे एक ही राष्ट्रीय परिवार के भिन्न भिन्न अंग समझेंगे।”

—लेखक

पिछले परिच्छेद में यह बताया जा चुका है कि भारतीय नागरिकों के अधिकार क्या क्या होने चाहियें। अधिकारों की प्राप्ति के साथ, यह आवश्यक हो जाता है कि नागरिक अपने कर्तव्यों का सम्यक् पालन करें। अधिकार होते ही इसलिए हैं कि उनसे नागरिकों की समुचित उन्नति हो, और वे अपने कर्तव्यों को ठीक ठीक पालन कर सकें। परिस्थिति के अनुसार कुछ कर्तव्यों का रूप कभी कभी कुछ बदल सकता है, पर उनमें तात्त्विक अन्तर नहीं आता।

नागरिकों के कर्तव्य—सांघारणतया नागरिकोंके जो

कर्तव्य होते हैं, उनमें से मुख्य मुख्य आगे दिये जाते हैं। \*

[ स्मरण रहे कि इनमें से जो कर्तव्य राजनैतिक, अर्थात् राज्य के प्रति हैं, वे उस दशा में ही ठीक तरह लागू होते हैं, जब नागरिकों का और राज्य का स्वार्थ एक ही हो; शासितों और शासकों में कोई सेद भाव न हो। ]

१—प्रत्येक नागरिक को स्वस्थ रहने और अपनी शारीरिक उन्नति करने का प्रयत्न करते रहना चाहिये; ( बीमार पड़ने पर वह अपने अन्य कर्तव्यों का भी पालन न कर सकेगा; साथ ही, उसकी बीमारी में जो लोग सेवा सुश्रेष्ठा करेंगे, उनके भी अपने अपने कर्तव्य पालन करने में वाधा उपस्थित होगो ) ।

२—उसे प्रारम्भिक शिक्षा अवश्य, और उच्च शिक्षा यथा—सम्भव प्राप्त करनी चाहिये ।

३—उसे सदाचारी रहना चाहिये ।

४—उसे स्वावलम्बी होना चाहिये, उसे ईमानदारी से, तथा देश हित का ध्यान रखते हुए ऐसी आजीविका प्राप्त करनी चाहिये, जिससे उसका, तथा उसके आधितों का भरण पोषण होसके, वे दूसरों पर भार-स्वरूप न हों ।

५—उसे अपने परिवार की शारीरिक, मानसिक और नैतिक उन्नति में सहायक होना चाहिये ।

\* इनका विशद विवेचन हमारे 'नागरिक शास्त्र' में है ।

६—उसे यथा—सम्भव अपने पड़ौस एवं नगर तथा राज्य वालों का हित साधन करना, और उनकी जान माल की रक्षा, तथा अधिकारों का आदर करना चाहिये। जहां तक वन आवे, उसका कोई कार्य ऐसा न हो जिससे उनकी किसी प्रकार की क्षति हो।

७—उसे समाज के सब व्यक्तियों के प्रति सहिष्णुता, समानता और सहयोग का भाव रखना चाहिये; वह किसी को, दूसरे धर्म, जाति, रंग या सभ्यता आदि का होने के कारण, नीच न समझे; सबसे प्रेम-पूर्वीक रहे।

८—उसे दूसरों के मत अर्थात् विचार या सम्मति का तिरस्कार न करना चाहिये। जब तक उसकी आत्मा के विरुद्ध न हो, उसे बहुमत से स्वीकृत हुए नियमों का पालन करना चाहिये।

९—उसे अपने राज्य के विविध कायदे कानूनों को मानना और करों को चुकाना चाहिये; (इन कायदे कानूनों को बनाने तथा कर निर्धारित करने में, स्वयं उसका भी यथेष्ट भाग होना चाहिये।)

१०—उसके लिए यह जानना आवश्यक है कि उसके देश की राजनैतिक स्थिति और शासन पद्धति कैसी हैं, उसमें क्या सुधार होने चाहियें; तथा यदि देश पराधीन हो

तो उसे किस प्रकार शीघ्र स्वाधीन एवं उत्तरदायी शासन पद्धति बाला बनाया जाय।

११—उसे अपने राज्य की उच्चति में, शिक्षा, स्वास्थ, उद्योग, कला कौशल की वृद्धि में, तज मन धन से भाग लेना चाहिये।

१२—उसे अपने राज्य के शासन कार्य में समुचित योग देना चाहिये; अपने मताधिकार तथा अन्य अधिकारों का सोच समझ कर निष्पक्ष रूप से उपयोग करना चाहिये।\*

१३—उसे अपने राज्य की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिये। यदि कोई उस पर आक्रमण करे, तो नागरिक को अपने प्राणों का भी मोह छोड़ कर, शत्रु को विफल-मनोरथ करने का प्रयत्न करना चाहिये [ यह बात तभी हो सकती है, जब राज्य की ओर से नागरिकों को सैनिक शिक्षा दी जाने की समुचित व्यवस्था हो, और उनके अख्य रखने में वाधा न हो ] ।

\* वर्तमान समय में यहां पर मताधिकार बहुत कम जन संख्या को है। ब्रिटिश भारत की लगभग पचीस करोड़ जनता में केवल ७५ लाख आदमी इसके योग्य माने जाते हैं, जबकि उम्र के हिसाब से बारह करोड़ से अधिक मताधिकारी होने चाहिये। पुनः यहां के निर्वाचकों का शासन पर बहुत कम प्रभाव है, कारण कि जिन संस्थाओं के लिए ये निर्वाचक अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, वे निरान्त शक्ति-हीन हैं। इस लिए बहुत से निर्वाचक अपने मताधिकार का उपयोग नहीं करते।

१४—उसे अंधे, लुले, लंगड़े आदि अपाहजों, अनाथों तथा पागलों से सहायता और सहानुभूति का भाव रखना चाहिये। समाज या राज्य की ओर से इनकी चिकित्सा, शिक्षा तथा भरण पोषण के लिए जो संस्थायें स्थापित की जाय, उनमें यथा शक्ति सहायता करनी चाहिये।\*

१५—किसी नागरिक को अन्य व्यक्तियों के अधिकारों में हस्तक्षेप न करना चाहिये; वरन् उन्हें उनकी प्राप्ति तथा उपभोग करने में समुचित सहायता देते रहना चाहिये।

१६—उसे अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा-भाव रखना चाहिये। (सम्भव है कि किसी खास पीढ़ी के कुछ आदमियों से कोई भूल, और बहुत अनिष्टकारी भूल, हुई हो। परन्तु, कुल मिलाकर विचार करने से हम अपने साहित्य, कला कौशल, और संस्कृति आदि के लिए उनके बहुत क्रिणी ही हैं।)

१७—उसे उन विदेशियों के प्रति भी प्रेम का व्यवहार करना चाहिये, जो यहां शान्ति से अपना कार्य करते हों, और जिनका उद्देश्य इस देश को किसी प्रकार की आर्थिक, सामाजिक, या नैतिक आदि हानि पहुंचाना न हो।

\* पिछली मनुष्य गणना के अनुसार भारतवर्ष में पागल, ८८ हजार; बढ़ेरे-गूरे, १ लाख ८० हजार; अंधे, ४ लाख ८० हजार; और, कोड़ी, १ लाख ३ हजार थे।

# चौथा परिच्छेद

## नागरिक श्रेणियाँ

“नागरिक का कार्य क्षेत्र किसी विशेष जाति या पेशे में सीमा-वंद्र नहीं है। सभी जातियाँ, सभी पेशे उसके अन्तर्गत हैं। धनी निर्धन, पंडित मूर्ख, सब नगर-वासी नगर की गोद में स्थान आने के सदैव एक समान अधिकारी हैं।”

पिछले दो परिच्छेदों में भारतीय नागरिकों को समष्टि रूप से लक्ष्य में रखा गया है। अब हम उनका भिन्न भिन्न समूहों या श्रेणियाँ (Classes) की विधि से विचार करेंगे। वे अपनी आजीविका, तथा देशोन्नति के लिए भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। इस प्रकार उनकी पृथक् पृथक् श्रेणियाँ होती हैं। प्रत्येक श्रेणी के व्यक्तियों के सम्बन्ध में—अधिकारों और कर्तव्यों के अतिरिक्त, जो सब के लिए समान होते हैं,—कुछ विचारणीय बातें अलग भी होती हैं।

भारतवर्ष की नागरिक श्रेणियाँ—सब देशों में श्रेणियों के विचार से नागरिकों का वर्गीकरण एक ही प्रकार से नहीं होता; पुनः बहुधा एक नागरिक श्रेणी के अन्तर्गत कई एक उप-श्रेणियाँ आजाती हैं और एक प्रकार की उप-श्रेणियों का दूसरे प्रकार की उप-श्रेणियों से घनिष्ठ सम्बन्ध

रहता है, अतः वर्गीकरण करने वाले लेखक को यह आशंका रहती है कि उसके किये हुए विभागों को कुछ सज्जन बहुत अधिक कहेंगे, तो दूसरे उन्हें बहुत कम समझेंगे। इस प्रकार भारत-वर्ष के सम्बन्ध में विचार करने के लिए, पहिले यही प्रश्न सामने आता है कि भारतीय समाज को कितने भागों में विभक्त करने से यह कार्य सरलता पूर्वक हो सकता है। इस विषय में भिन्न भिन्न विचारकों में थोड़ा बहुत मत भेद हो सकता है, परन्तु एक बात निश्चित है, कि इस में वंश, जाति, धर्म ( मत ), संख्या या धन आदि का लिहाज़ नहीं किया जाना चाहिये।\*

अस्तु, भारतीय नागरिकों को हम निम्न लिखित श्रेणियों में विभक्त करना पर्याप्त समझते हैं। ( क ) किसान, ( ख ) मज़दूर, ( ग ) कारीगर, ( घ ) व्यापारी या दुकानदार,

\* प्राचीन भारत में, जब वर्ण व्यवस्था का आधार युण, कर्म था, ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य और शूद्र इन चार जातियों का, तथा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, और सन्धाय इन चार आश्रमों का विचार बरने से, इन के कर्तव्य, अधिकार और सुविधाओं का वर्णन कर देने से नीतिकार, का वाम पूर्णा हो जाता था। परन्तु पीछे लोग जन्म ( तथा स्थान ) के विचार से जाति-भेद मानने लगे। इससे यहाँ जाति उपजातियों की संख्या सहस्रों पर पहुंच गयी। आश्रम मर्यादा भी भुला दी गयी। मन चाहा जब एक आश्रम से छोड़ कर दूसरा स्वीकार कर लिया जाता है। इस प्रकार वर्णाश्रम व्यवस्था अब प्राचीन काल के मर्हान आदर्श की पूर्ति नहीं करती।



(च) सार्वजनिक नौकर, (छ) मानसिक कार्य करने वाले (लेखक, समापादक, और अध्यापक आदि), (ज) समाज का मनोरञ्जन करने वाले, तथा (झ) महन्त आदि।

इनके अतिरिक्त भारतीय नागरिकोन्ति के लिए निम्न लिखित समूहों के विषय में भी विचार करना आवश्यक है।  
 (अ) महिला, (आ) बालक, (इ) विद्यार्थी, (ई) दलित जातियाँ, (उ) पूंजीपति और जमीन्दार, और (ऊ) नरेश।

**श्रेणियों को दी जाने वाली सुविधाओं—राज्य की, अर्धात् सामुद्रिक रूप से नागरिकों की, यथेष्ट उन्नति होने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक श्रेणी के नागरिकों को अपनी अपनी उन्नति करने के साथ, समाज के वास्ते अधिकाधिक उपयोगी बनने का अवसर मिले। इसके लिए उन्हें (अधिकारों के अतिरिक्त) जिन जिन सुविधाओं की आवश्यकता हो, वे सब प्राप्त होनी चाहियें। स्मरण रहे कि इन सुविधाओं का आधार, उन नागरिकों की उपयोगिता, उनके द्वारा होने वाला राज्य या देश का हित, होना चाहिये। जो श्रेणी जितनी अधिक उपयोगी है, उसके लिए आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था, भी उतनी अधिक होने की ज़रूरत है।**

**नागरिक संस्थायें**—नागरिकों के लिए आवश्यक सुविधायें प्राप्त करने के बास्ते विविध संस्थाओं का संगठन होता है। कहीं तो ये संस्थायें सुविधाओं के भेद के अनुसार, संगठित की जाती हैं, जैसे राजनैतिक समा, धर्म सम्मेलन, सामाजिक परिषद आदि; और कहीं ये श्रेणीवार होती हैं, जैसे कृषक हितैषी समा, मज़दूर संघ, अध्यापक समिति, सम्पादक सम्मेलन आदि।\* कहीं कहीं दोनों ही प्रकार की संस्थायें अपने अपने क्षेत्र के अनुसार काम करती हैं। इनमें से दूसरी प्रकार की संस्थाओं के सम्बन्ध में यह वक्तव्य है कि यद्यपि सिद्धान्त से इनके संगठन में कोई आपत्ति नहीं है, पर व्यवहारिक दृष्टि से इनसे कभी कभी बड़ी हानि की आशंका होती है। इन्हें अपनी मर्यादा, उद्देश्य और आदर्श का समुचित ध्यान रखना चाहिये। ऐसा न हो कि इनमें परस्पर स्पर्द्धा, या दलबन्दी का भाव उत्पन्न हो; उदाहरणार्थ किसानों और मज़दूरों के संघों का ज़मींदारों और पूँजीपतियों के संघों से संघर्ष होजाय।

\* भारतवर्ष में, लोगों में अभी जाति बिरादरी का भाव बहुत होने के कारण यहां बगह जगह एवं जाति या उप-जाति की सभा या शाखा-सभा हैं। इन संस्थाओं द्वारा, इनके क्षेत्र में सामाजिक कुरीति निवारण या शिक्षा प्रचार आदि का कुछ उपयोगी कार्य हो रहा है, तथा हो सकता है; तथापि इनसे जो साम्प्रदायिकता, या दूसरी जातियों से पृथक्ता का भाव बढ़ता है, वह चिन्तनीय है।

**नियंत्रण**--प्रत्येक श्रेणी को दूसरी श्रेणियों से सहयोग का भाव रखना चाहिये । उसकी शक्ति का सदुपयोग, राज्य हित साधन करने में है । जब कोई श्रेणी इस बात को भुला देती है, और स्वार्थ भाव से अपनी उच्चति करने लगती है तो उससे सर्व साधारण को मिलने वाला लाभ क्रमशः घटता जाता है, और कुछ समय बाद उससे दूसरों को हानि पहुँचने की सम्भावना होने लगती है । ऐसी स्थिति न आने देने के लिए समुचित व्यवस्था होनी चाहिये । जो श्रेणियां राज्य के नागरिक जीवन को हानि पहुँचाने वाली हों, उन्हें कुछ सुविधायें मिलना तो दूर रहा, उलटा उनके नियंत्रण की आवश्यकता होती है । जब किसी श्रेणी का अत्याचार बहुत बढ़ जाता है, और वह समय रहते सावधान नहीं होती, तो सबको उसका लोप अभीष्ट होने लगता है, और जनता में यथेष्ट जागृति होने पर उसका विनाश अनिवार्य होजाता है ।

आगे के परिच्छेदों में इस विषय पर क्रमशः विचार किया जायगा कि किस नागरिक श्रेणी या समूह को क्या क्या सुविधायें दी जानी चाहियें, अथवा किस पर क्या नियंत्रण रखना आवश्यक है । अगले पृष्ठों में हमने 'अधिकार' शब्द का प्रयोग कानूनी अर्थ में ही नहीं, नैतिक अर्थ में भी किया है ।

# पांचवां परिच्छेद

## किसान

“ इस भूमेंडल पर अनेक आश्रय हैं, और अपनी अपनी तरह के बड़े आश्रय हैं। परन्तु सब से अधिक चकित करने वाला भयंकर आश्रय यह है कि अन्नदाता भारतीय किसान जनता की भूख मिटाने का प्रयत्न करें, फिर भी सभ्य संपार इनके प्राणों का भूखा बना रहे। ”

— लेखक

किसानों की उपयोगिता--पृथ्वी से जितनी वस्तुएं उत्पन्न की जाती हैं, उन सब के उत्पादक किसान हैं, ये ही सब के अन्नदाता हैं। समाज में शासकों, लेखकों, महात्माओं आदि बड़े कहलाने वाले आदिमियों की भी उदर-पूर्ति किसानों के ही द्वारा होती है। खेती की उपज में न्यूनता होने से समस्त राज्य की बहुत अधोगति हो जाती है। भारतवर्ष में तो लगभग ७५ फी सही आदिमियों की आजीविका कृषि कार्य पर निर्भर है, वास्तव में यह किसानों का राष्ट्र है। इसलिए यहां किसानों की उपयोगिता विशेष रूप से है।

इन्हें दी जाने वाली सुविधायें--अपना महान कार्य भली भाँति सम्पादन करने के लिए किसानों को विशेषतया आगे लिखी सुविधायें दी जानी चाहियें : -

१-कृषि सम्बन्धी समस्त उन्नति का मूल, स्वत्वाधिकार है। जो किसान ज़मीन को जोतता और बोता है, वही उसका मालिक होना चाहिये; लगान और मालगुज़ारी लिया जाना सर्वथा अनुचित है और एक ज़बरदस्ती है। सरकार अपने खर्च के लिये जैसे अन्य पेशा करने वालों से आय-कर लेती है, वैसा ही आय-कर कृषकों से लिया जाना चाहिये। बहुत से उन्नत राज्यों में ऐसी व्यवस्था प्रचलित है। हमें भी इसी आदर्श पर पहुँचना चाहिये। जो व्यक्ति जितना धन उत्पन्न करे, उसके उपभोग का वही अधिकारी समझा जाय। जब तक इस सिद्धान्त को व्यवहार में परिणत न किया जाय, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि-

(क) ज़मीदार ज़मीन के किराये के रूप में अच्छी दशा वाले किसानों से उपज का दस फी सदी, और साधारण दशा वालों से इस से कम अंश लें। और जहां रैथ्यत-वारी प्रथा है, वहां सरकार इतना ही अंश लेवे। किसानों से किसी प्रकार का अप्रत्यक्ष कर या भैंट आदि लेने की प्रथा न रहे। जिन किसानों की खेती की उपज से केवल उनका और उनके परिवार का ही पालन हो सकता है, या वह भी नहीं हो सकता, उनसे किराये के रूप में भी कुछ न लिया जाना चाहिये।

( ख ) यथा सम्भव स्थायी बन्दोवस्त होना चाहिये, नहीं तो साठ साल की मियाद का बन्दोवस्त किया जाय ।

( ग ) जहां बेदखली का भय है, वहां किसान काफी रकम लगाकर ऐसी अच्छी तरह खेती नहीं करते, जैसे मौरुसी काश्तकार । इससे देश में उपज यथेष्ट नहीं होने पाती । इसलिए बे-दखली की कुप्रथा का अन्त किया जाना चाहिये ।

( घ ) जिस समय तक जमीदार किसानों से लगान लें, उन्हें उनकी शिक्षा स्वास्थ तथा आर्थिक उन्नति में यथा शक्ति सहायक होना चाहिये ।

२-प्रत्येक गांव में, या पास के छोटे छोटे दो तीन गांवों के समूह में, एक पंचायत होनी चाहिये, जो गांव की शिक्षा और स्वास्थ के अतिरिक्त किसानों के पारस्परिक झगड़े निपटाने, उनकी आवश्यकताओं का निर्णय करके उन्हें सहकारी बैंक आदि से आर्थिक सहायता दिलाने, उनका संगठन करने, और उनकी तथा पशुओं की विविध प्रकार से उन्नति करने का यत्न करे । इन पंचायतों में गांव के सुयोग्य सज्जनों को ( प्रायः किसानों को ) अधिकारी बनाया जाना चाहिये ।

३-खेतों में काम करने वालों की वृद्धावस्था या बीमारी

आदि की दशा में उनकी तथा उनके परिवार की सहायता के लिए राज्य की ओर से समुचित प्रबन्ध होना चाहिये ।

४—कृषि सम्बन्धी नियम निर्माण तथा जांच आदि के लिए कृषकों को ऐसे प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होना चाहिये, जिन्हें इस विषय का प्रत्यक्ष अनुभव हो ।

५—किसानों को व्यक्तिगत रूप से तथा स्मार्ट रूप से, निम्न लिखित प्रकार के कार्यों में सरकारी परामर्श तथा आर्थिक सहायता पाने का अधिकार होना चाहिये :— पशुओं की नस्ल सुधारना, खेती की वैज्ञानिक ढंग से उन्नति करना, कृषि कार्य सम्बन्धी विविध वाधाओं को दूर करना, आदि ।

६—खेती की, तथा खेतों में अपनी रक्षा के लिए किसानों को उपयुक्त अल्प मिलने चाहियें ।

७—किसानों के पशुओं के मुफ्त चरने के लिए प्रत्येक गांव में, या ग्राम समूह में यथेष्ट भूमि चरागाह के लिए छोड़ी जानी चाहिये, जिस पर कोई लगान आदि न हो ।

**किसानों के ध्यान देने की बातें—** किसानों को ध्यान रखना चाहिये कि उनके लिये केवल परिश्रम से ही काम करना काफ़ी नहीं है, उन्हें कृषि और पशु पालन आदि के उन्नत और वैज्ञानिक उपायों को समझना और यथा शक्ति काम में लाना चाहिये । कृषि-कार्य से उनका जो समय

बचे, उसका उन्हें कपास ओटने, सूत कातने, कपड़ा बुनने आदि विविध घरू उद्योग धंधों में उपयोग करना चाहिये, जिससे उनकी कपड़े आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति हो तथा आर्थिक दशा का सुधार होने में सहायता मिले। उन्हें सामाजिक कुरीतियों, मुकद्दमेबाज़ी आदि में न फँसना चाहिये; और परस्पर में सहयोग के भाव की वृद्धि करते रहना चाहिये।

# छटा परिच्छेद

## मजदूर

“अमजीवी सुधार सम्बन्धी कानूनों का एक सिद्धान्त, तथा अन्तर्राष्ट्रीय अमजीवी संघ का आधार यही है कि मजदूरों के कार्य को केवल एक ( क्रय विक्रय की ) वस्तु मात्र न माना जाय, वरन् मजदूरी करने की परिस्थिति निश्चय करने में मजदूरों की मानवी आवश्यकता का विशेष ध्यान रखा जाय। किन्तु दुर्भाग्यवश ऐसा जान पड़ता है कि भारतवर्ष में यह सिद्धान्त अभी तक न तो पूँजीपतियों को, और न शासक वर्ग को मांग्य दुआ है।”

—सुधा

‘मजदूर’ या ‘अमजीवी’ शब्द व्यापक अर्थ में उन सब लोगों के लिए प्रयुक्त होता है, जो स्वतंत्र या प्रतंत्र रह कर शारिरिक या मानसिक किसी प्रकार का परिश्रम करके अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं। परन्तु यहां हम इसे उसी अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं, जो साधारण बोल चाल में लिया जाता है; अर्थात् मजदूरों से हमारा अभिप्राय केवल उन लोगों से है जो किसी व्यक्ति के अधीन शारिरिक परिश्रम करते हैं।

मजदूरों की उपयोगिता—पृथ्वी से जो अज्ञ, कपास, लकड़ी आदि वस्तुएँ जिस रूप में उत्पन्न होती हैं, उन्हें हम

उसी रूप में काम में नहीं लाते, उन्हें व्यवहारोपयोगी बनाने के लिए बहुत परिश्रम करने की आवश्यकता होती है; तभी तो नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ, भिन्न भिन्न तरह के वस्त्र और विविध प्रकार के सामान बनते हैं। हमारा मकान, दुकान, सड़कें और नालियाँ आदि बनाने वाले मज़दूर ही हैं। बिना मज़दूरों के काम के हमारा जीवन कितना कठिन तथा कष्टदायक हो, यह सहज ही अनुमान किया जा सकता है। इससे समाज में मज़दूरों की उपयोगिता स्पष्ट है। ऐसी उपयोगी श्रेणी को राज्य में समुचित सुविधायें मिलनी ही चाहिये।

उन्हें दी जाने वाली सुविधायें—मज़दूरों को खास कर आगे लिखी सुविधायें दिया जाना उचित है :—

१—प्रत्येक प्रकार के, मज़दूर का न्यूनतम वेतन स्थिर रहना चाहिये; उन्हें कम से कम इतना वेतन अवश्य मिले कि वे अपना तथा अपने परिवार (बच्चों सहित तीन सदस्यों) का निर्वाह कर सकें। बालकों (पन्द्रह वर्ष से कम उम्र वालों) को मज़दूरी करने की आवश्यकता न होनी चाहिये।

२—एक ही प्रकार के, अथवा समान काम के लिये मज़दूरों को समान वेतन मिलना चाहिये। हाँ शियों के मातृत्व तथा गृहस्थी सम्बन्धी उत्तरदायित्व और कर्तव्य का

ध्यान रखकर उनके साथ यह रियायत होना आवश्यक है कि उनके काम करने के धंटे कम, और उनका काम अपेक्षा-कृत सुगम होना चाहिये। उन्हें गर्भावस्था के अन्तिम दो मास तथा बच्चा पैदा होने के कमसे कम एक मास बाद तक छुट्टी पाने अधिकार होना चाहिये। \* जो स्त्रियाँ बच्चों का पालन करें, उन्हें हर ढाई तीन धंटे के बाद आधे धंटे की सबैतन छुट्टी मिलनी चाहिये। ( ऐसी स्त्री-स्वयं सेविकाओं की बड़ी आवश्यकता है, जो माताओं की अनुपस्थिति में बच्चों की देख भाल किया करें। ) रात को और खानों में, ओवर-टाइम (Over time) अर्थात् नियमित समय से अधिक, तथा ठेके पर किसी स्त्री से कोई मज़दूरी नहीं करायी जानी चाहिये।

३-प्रत्येक मज़दूर के काम करने का समय, अन्यान्य बातों में उसके काम की सख्ती नरमी, कठिनाई सुगमता, या पवित्रता अपवित्रतादि के विचार से निश्चित होना चाहिये। मेहतरों को, खान में, तथा गैस, फासफोरस और कांच आदि का काम करने वालों को, तथा इस प्रकार के अन्य मज़दूरों को चार धंटे से अधिक तथा किसी भी मज़दूर को आठ धंटे से अधिक काम करना आवश्यक न होना चाहिये।

४-मज़दूरों के काम करने का स्थान यथा सम्भव

\* खिड़ी से काम लेने वालों का कर्तव्य है कि वे उन्हें ऐसी छुट्टी के समय आर्थिक सहायता दें।

स्वास्थ्यकर होना चाहिये, तथा वहां काम करने में किसी प्रकार की जोखिम न होनी चाहिये। चोट चपेट लगने की दशा में मज़दूरों की उपचुक्त क्षति-पूर्ति होनी चाहिये, और, यदि किसी काम के करने में कोई मज़दूर मरजाय तो उसके परिवार के भरण पौष्ण का पूर्ण प्रबन्ध, उस कार्य के कराने वाले को करना चाहिये।

५—सरकार की ओर से मज़दूरों के सुभीते के लिये काफ़ी पूर्जी वाले सहकारी बैंक स्थापित किये जाने चाहियें, जो उनकी आवश्यकता की यथार्थता का निर्णय करके, उन्हें कम सूद पर रूपया उधार दें, तथा उन्हें क्रणग्रस्त होने से बचावें।

६—किसी मज़दूर पर, उसके कार्य में कोई त्रुटि हो जाने के कारण मालिक या उच्च अधिकारी का, जुरमाना करने का अधिकार, कानून द्वारा बहुत नियंत्रित होना चाहिये।

७—किसी ओवरसीअर आदि को, मज़दूरों से उनकी मज़दूरी का कोई भाग, अथवा निर्धारित कार्य के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य लेने का अधिकार नहीं है। इस विषय की पूरी जांच होती रहनी चाहिये।

८—मज़दूरों को स्थानीय, प्रान्तीय या देशीय सब व्यवस्थाएँ संख्याओं में अपने प्रतिनिधि भेजने का पूर्ण अधिकार होना चाहिये।

९-मज़दूरों को अपना संगठन करने में, या मज़दूर संघ ( ड्रेड यूनियन ) आदि स्थापित करने में किसी प्रकार की वाधा न होनी चाहिये, बल्कि उन्हें इस कार्य में आवश्यकतानुसार प्रोत्साहन मिलना चाहिये ।

१०-मज़दूरों की वृद्धावस्था, वेरोज़गारी, या बीमारी आदि की दशा में उनकी तथा उनके परिवार की सहायता के लिये राज्य की अथवा पूँजीपतियों की ओर से बीमे या स्थायी कोष की सुव्यवस्था होनी चाहिये ।

११-प्रत्येक कारखाने के मालिक अपने कारखाने में काम करने वाले सब मज़दूरों की शिक्षा, सदस्चार तथा स्वास्थ्य के लिये उत्तरदायी होने चाहियें । हां, इस में सरकार भी समुचित सहायता दे ।

१२-प्रत्येक कार्य के प्रबन्ध, नियम-निर्माण या जांच आदि में, उसके करने वाले मज़दूरों के ऐसे प्रतिनिधियों का परामर्श लिया जाना आवश्यक है, जिन्हें उसका प्रत्यक्ष अनुभव हो ।

१३-किसी मज़दूर से उसकी इच्छा के विरुद्ध बलधूर्वक, या शर्तबन्धे रूप में कभी और कहीं कोई कार्य न कराया जाना चाहिये ।

१४-जिस मज़दूर को कोई करने योग्य कार्य न मिले, उसके लिये उसके योग्य काम की तलाश करने में सरकार सहायता

करे। यदि इस में सफलता न हो तो सरकार उसके लिये स्वयं कोई काम दे। कार्य करने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति तथा उसके परिवार का निर्वाह होना चाहिये।

१५—सालभर में मज़दूरों को सासाहिक छुट्टी तथा त्याहार आदि के अतिरिक्त, साधारणतया एक मास की, और राष्ट्रीय कठिनाई की दशा में १५ दिन की, सवेतन छुट्टी मिलनी चाहिये। विशेष अस्वास्थ्यकर काम करनेवाले मज़दूरों को १५ दिन की छुट्टी और अधिक मिलनी चाहिये।

१६—घरेलू नौकरों का पालन पोषण और रहन सहन परिवार के सदस्यों की भाँति होना चाहिये और गृह-स्वामियों को उनकी शिक्षा स्वास्थ और सदाचार की ओर समुचित ध्यान देना चाहिये।

मज़दूरों के ध्यान देने की बातें—मज़दूरों को चाहिये कि मन लगा कर अपना काम करें, कोई उन्हें देखने वाला हो या न हो। उन्हें अपने स्वामी के लाभ को अपना लाभ समझ कर कार्य करना चाहिये। उन्हें मनोरंजन के लिए बीड़ी पीना या मद्य-पान करना आदि उचित नहीं, इन से उनके द्रव्य और स्वास्थ दोनों की हानि होती है। उन्हें अदना संगठन करके अपनी उच्चति का विचार रखना चाहिये, उन्हें अपने न्यायोचित अधिकार पाने के लिए धैर्य और शान्ति पूर्वक प्रयत्न करते रहना चाहिये।

# सत्तवां परिच्छेद

## कारीगर

---

कारीगरों से अभिप्राय उन लोगों से है जो अपनी आजी-विकार्थ शारिरिक परिश्रम स्वतंत्र रूप से करते हैं, किसी के अधीन नहीं।

कारीगरों की उपयोगिता—मज़दूरों का महत्व पहले बताया जा चुका है, उससे कारीगरों की उपयोगिता समझ में आसकती है। क्यों कि ये लोग अपना निर्वाह स्वतंत्रता-पूर्वक करते हैं, इन्हें कभी कभी बड़ी आर्थिक तथा अन्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाता है। अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए ये सब विपत्तियों का यथा शक्ति सामना करते हैं। इन के उदाहरण से अन्य नागरिकों में भी स्वतंत्रता के भावों का संचार होता है। राज्य और समाज के लिए ऐसे नागरिकों की श्रेणी की उपयोगिता स्पष्ट है।

इन्हें दी जाने वाली सुविधायें—इन्हें अपना कार्य भली प्रकार सम्पादन करने, देने के लिए विशेषतया निम्न लिखित सुविधायें मिलनी चाहियें :—

१—जो व्यक्ति किसी कारीगर को सीखना चाहे, उसे उस कारीगरी की समुचित शिक्षा निश्शुल्क मिलनी चाहिये ।

२—प्रत्येक कारीगर को, आवश्यकता होने पर निर्धारित नियमों के अनुसार, औज़ार तथा आर्थिक सहायता और कच्चा सामान लेने की सुविधायें दी जानी चाहियें ।

३—कारीगरों को अपना तैयार किया हुआ माल बेचने में पूरी सहायता दी जानी चाहिये ।

४—जिन कारीगरों को यह शिकायत हो कि भरसक परिश्रम करने पर भी उनका तथा उनके परिवार का निर्वाह नहीं होता, उनके विषय में विश्वस्त सूत्र से जांच करने पर उन्हें आवश्यकतानुसार परामर्श तथा आर्थिक सहायता मिलनी चाहिये ।

५—कारीगरों की वृद्धावस्था, बीमारी, या अन्य संकट के समय, उनकी तथा उनके परिवार की सहायता के लिये, राज्य की ओर से समुचित सहायता का प्रबन्ध होना चाहिये ।

६—कारीगरों के संगठन तथा उच्चति के लिये उन्हें समय समय पर समाज तथा राज्य की ओर से समुचित परामर्श और प्रोत्साहन मिलना चाहिये ।

नोट—कारीगरों के अन्य विकार मज़दूरों के समान होने चाहियें ।

अष्टवां परिच्छेद

## व्यापारी और दुकानदार

“ कर्तव्य—पालन और आत्म त्याग के लिए सदा तैयार रहने ही से हम सभे संसार की दृष्टि में ऊचे हो सकते हैं, और सच्ची उन्नति कर सकते हैं। व्यापार भी इस सर्व—व्यापी नियम का अनुसरण करके अनायास ही गौत्र—पूर्ण, आदर—पूर्ण और उन्नति—पूर्ण हो सकता है।

—जान रस्किन

इन की उपयोगिता—व्यापारियों और दुकानदारों के बिना किसी छोटे से ग्राम या नगर का भी काम नहीं चल सकता। यह ठीक है कि भिन्न भिन्न वस्तुएं उत्पन्न करने या बनाने का काम किसान तथा मज़दूर करते हैं, परन्तु यदि व्यापारी उन्हें उत्पादकों से मोल लेकर भिन्न भिन्न स्थानों में न पहुंचावें तो दूर दूर रहने वाले अनेक नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति न हो। उनके लिए उन वस्तुओं का अभाव ही बना रहे। इसी प्रकार यदि दुकानदार अपने यहाँ भिन्न भिन्न पदार्थों का संग्रह न रखें तो नागरिकों को ज़रूरत के समय बहुत भटकना पड़े और फिर भी खास खास त्रैती में होने वाली चीज़ें तो उन्हें मिलें ही नहीं। जिन चीज़ों का हमारे देश में उपयोग नहीं हो सकता, या जो हमारी

आवश्यकता से अधिक हैं, उन्हें व्यापारी विदेशों में भेजकर, स्वदेश में उनकी कीमत या उनके बदले में अन्य उपयोगी पदार्थ लाते हैं। यह सब कार्य ऐसा महत्व-पूर्ण है, कि अर्थशास्त्री इसे उत्पादक कार्य मानते हैं। निस्सन्देह अन्यान्य नागरिक श्रेणियों में व्यापारियों और दुकानदारों की भी यथेष्टु उपयोगिता है।

इन्हें दी जाने वाली सुविधायें—इन्हें विशेषतया निम्न लिखित सुविधायें मिलनी चाहियें :—

१—पदार्थों को लाने लेजाने के साधन—गाड़ियों, रेल, जहाज़, मोटर, वायुवान आदि की सुव्यवस्था होनी चाहिये। इन के किराये में, तथा आने जाने के समय में, व्यापारियों की सुविधाओं का ध्यान रखा जाना चाहिये।

२—देश में एक गांव या नगर से दूसरे गांव या नगर तक जाने आने के लिए सड़कों का, एवं सुरक्षा के लिए पहरे का, पर्याप्त प्रबन्ध होना चाहिये।

३—व्यापारियों को रूपया उधार देने, तथा स्वदेश, और विदेश में—एक स्थान से दूसरे स्थान—रूपया भेजने आदि के लिए बैंकिंग या महाजनी आदि की समुचित व्यवस्था होनी चाहिये।

**इनका नियंत्रण—**जो व्यापारी या दूकानदार माल में मिलावट करें, अनुचित मुनाफ़ा लें, अपने लाभ के लिए माल को महंगा करने का प्रयत्न करें, अथवा ग्राहकों से एक ही वस्तु के भिन्न भिन्न दाम लेकर, या किसी अन्य प्रकार उन्हें धोखा दें, अथवा विदेशी सामान, मादक द्रव्य या विलासित की चीज़ों के प्रचार में सहायक होकर राष्ट्र के हितों की उपेक्षा करें, वे अपराधी, और, अतएव दंडनीय समझे जाने चाहियें।

## नवां परिच्छेद

### सार्वजनिक नौकर

“ सेवा-धर्म को ठीक ठीक निभाना बड़ा कठिन है । ”

सार्वजनिक नौकरों में शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, सेना, पुलिस, शासन, व्यवस्था, न्याय, उद्योग, व्यापार आदि सम्बन्धी सार्वजनिक संस्थाओं में कार्य करने वाले विविध कर्मचारी सम्मिलित हैं । राज्य और समाज के लिए इन की उपयोगिता स्पष्ट है । इन के बिना उपर्युक्त संस्थाओं के विविध लाभकारी कार्यों का सम्पादन यथेष्ट रीति से नहीं हो सकता, और, देश के सुख, शान्ति और उन्नति में वाधा पड़ती है ।

इन्हें दी जाने वाली सुविधायें— इन्हें निम्न लिखित सुविधायें मिलनी उचित हैं :—

१—किसी सार्वजनिक नौकर के लिए प्रति दिन छः घण्टे से अधिक काम करना आवश्यक न होना चाहिये । उन्हें सामाजिक छुट्टी, त्यौहार या अन्य अवकाश आदि के समय कार्यालय में अथवा घर पर संस्था सम्बन्धी काम करने को वाध्य न किया जाना चाहिये । विशेष, अथवा अधिक कार्य के लिये विशेष या अधिक कर्मचारियों का प्रबन्ध रहना चाहिये ।

२—प्रत्येक सार्वजनिक नौकर को कम से कम इतना बैतन मिलना चाहिये कि उसका तथा उसके साधारण परिवार (बच्चों सहित तीन सदस्यों) का निर्वाह हो सके।

३—किसी सार्वजनिक नौकर पर उच्च अधिकारियों का नियंत्रण केवल उसी सीमा तक होना चाहिये जहांतक कि उससे निर्धारित कार्य का सम्बन्ध है। इसके अतिरिक्त उसके वैयक्तिक जीवन तथा रहन सहन आदि में हस्तक्षेप न किया जाना चाहिये।

४—उच्च अधिकारियों को चाहिये कि सार्वजनिक हित का ध्यान रखते हुए, अपने अधीन कर्मचारियों की मान मर्यादा की रक्षा करें।

५—सार्वजनिक नौकरों की बीमारी, या अन्य विशेष आवश्यता के समय, उन्हें छुट्टी मिलने में यथा—सम्भव सुविधा होनी चाहिये। उनकी बीमारी और वृद्धावस्था में उनका, तथा उनके परिवार का, और, उनके मरने पर उनके आश्रितों का समुचित पालन पोषण होना चाहिये।

६—प्रत्येक सार्वजनिक नौकर को अधिकार होना चाहिये कि अपने अवकाश के समय अपने मनोरंजन, उन्नति या स्वदेश-सेवा सम्बन्धी चाहे जो कार्य करे अथवा चाहे जिस संस्था में भाग ले, या उसकी सहायता करे। जब तक कि दूसरे

नागरिकों के अधिकारों में विघ्न की, या देश के अहित की सम्भावना न हो, इस में उसके उच्चाधिकारियों की ओर से किसी प्रकार की वाधा न होनी चाहिये ।

७—जब कोई सार्वजनिक नौकर चाहे, तो वह नियमानुसार एक मास (या इसके लगभग समय) की सूचना देकर, अपने कार्य को छोड़ सकता है ।

८—अपनी रुचि, योग्यता तथा कार्यक्षमता के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को सार्वजनिक नौकरी प्राप्त करने, तथा अपने पद में क्रमशः उन्नति करने का समान अवसर मिलना चाहिये । एक ही प्रकार का समान कार्य करने वाले सब सार्वजनिक नौकरों को पद, मान, वेतन, पैन्शन आदि का अधिकार समान होना चाहिये । इसमें जाति, रंग या धर्म आदि का कोई पक्षपात न होना चाहिये ।

नोट—सार्वजनिक नौकरों को चाहिये कि अपना काम यथेष्ट परिष्ठम और इमानदारी से करें । जिस संस्था में वे वाम करते हों, उसके नियमों का वे यथा—सम्भव ध्यान रखें, तथा अपने अधीन छोटे कर्मचारियों से, एवं सर्वे साधारण से, शिष्टाचार—पूर्वक व्यवहार करें ।

## दसवां परिच्छेद

### मानसिक कार्य करने वाले

“परोपकाराय सतां विभृतयः”

मानसिक कार्य करने वालों में लेखक, सम्पादक, अध्यापक, प्रचारक, कवि, चित्रकार, वैद्य, डाक्टर, आविष्कारक, और वकील आदि सम्मिलित हैं।

इनकी उपयोगिता—मानसिक कार्य करने वाले आदमी समाज रूपी शरीर के मस्तिष्क हैं। जिस प्रकार मनुष्य का मस्तिष्क यह सोचता है कि शरीर के भिन्न भिन्न अंगों का क्या करना चाहिए, उसी प्रकार मानसिक कार्य करने वाले सज्जन समाज के लिए आदर्श उपस्थित करते हैं, उन्हें नीति, सदाचार सिखाते हैं तथा विविध विषयों का ज्ञान दिलाते हैं। वे दोषों का निवारण, और गुणों की रक्षा तथा वृद्धि का उपाय बतलाते हैं, और, भावी राष्ट्र का निर्माण करते हैं। इससे राज्य के लिए इनकी उपयोगिता स्पष्ट है।

इन्हें दी जाने वाली साधारण सुविधायें—इनकी सेवाओं से समुचित लाभ उठाने के लिए राज्य तथा समाज

की ओर से इन्हें विशेषतया निम्न लिखित सुविधायें मिलनी चाहियें :—

१—अपना कार्य करते समय, यदि इनसे किसी की कुछ हानि होजाय तो इनकी परिस्थिति और इरादे ( नीयत ) का विचार करके ही, इनके सम्बन्ध में कुछ निर्णय किया जाना चाहिये। उदाहरणवत्, यदि किसी चित्रकार के बनाये हुए चित्र से, या किसी कवि की कविता से, अथवा किसी लेखक की गल्प या आलोचना से, कोई व्यक्ति अप्रसन्न होता है, या किसी डाक्टर या वैद्य के इलाज से किसी रोगी का कष्ट बढ़ता है, या किसी की मृत्यु ही होजाती है, तो इन पर लगाये हुए अभियोग का विचार करते समय इनके उद्देश्य को हाइ में रखाजाना आवश्यक है।

२—यदि कोई व्यक्ति स्वतंत्र रूप से ऐसा कार्य कर रहा है जिससे समाज या राज्य का हित होता हो, या होने की सम्भावना हो, परन्तु उस कार्य से उसका यथेष्ट निर्वाह न होता हो, तो राज्य को चाहिये कि उसे ऐसा समुचित परामर्श, सुविधाएं और सहायता दे जिससे उसे पर्याप्त प्रोत्साहन मिलता रहे, और, वह उस कार्य को छोड़ने के लिये वाध्यन हो।

३—दूसरों के अधीन कार्य करने वालों के काम के घंटे यथा—सम्भव सदैव के लिए निर्धारित रहने चाहियें। सब

मानसिक कार्य मस्तिष्क को वरावर थकाने वाले नहीं हैं, अतः भिन्न भिन्न पुरुषों के भिन्न भिन्न कार्यों के अनुसार काम करने के धंटे चार से छः तक होने चाहिये । प्राय छः धंटे से अधिक काम करना किसी के लिये आवश्यक न होना चाहिये ।

४—अन्य सुविधायें, इन में से दूसरों के अधीन काम करने वालों को मज़दूरों के समान, तथा, स्वाधीन कार्यकर्ताओं को कारीगरों के समान मिलनी चाहिये । ये पहले बतायी जा चुकी हैं ।

**नोट**—मानसिक कार्य करने वालों को चाहिये कि अपने महान उत्तरदायित्व को भली भांति समझ कर अपने कर्तव्य का समुचित पालन करें उनकी योड़ी सी उपेक्षा से राष्ट्र की बहुत हानि हो सकती है । जो आदमी अपने पद के अनुसार ठीक कार्य न कर सके, उन्हें लोभ के वश ही उस पद को स्वीकार न कर लेना चाहिये ।

मानसिक कार्य करने वालों के सम्बन्ध में जो बातें समान रूप से विचारणीय हैं, उनका उल्लेख कर चुकने पर, अब हम (क) लेखकों, (ख) सम्पादकों, और, (ग) अध्यापकों के सम्बन्ध में कुछ विशेष बातों का विचार करते हैं ।

### (क) लेखक

धन्य हैं, वे पुरुष और देवियां जो शुद्ध सात्त्विक भाव से साहित्य-व्रती हों; जो मरकर नहीं, जीते जो बलिदान हों, पर

अन्य बलिदान होने वालों की भाँति प्रसिद्धि भी न पावें; जिन्हें संसार न जाने, जो धनाभाव से उजले कपड़े न रख सकने के कारण, समाज में समुचित मान न पावें, जो अधिकारियों की आंखों में भी न सुहावें, परन्तु जो इन बातों की परवाह न करके अपनी धुन के मस्त और दीवाने बने रहें। ऐसे ही व्यक्ति भावी भव्य भारत के राष्ट्रीय भवन में नींव का काम देंगे। दूसरों की दृष्टि में इनका कुछ महत्व हो या न हो, इनकी आत्मा का संतोष ही इनके लिए सब कुछ होता है।

इन्हें दी जाने वाली विशेष सुविधायें—इनके लिये विशेषतया ये सुविधायें आवश्यक हैं:—

१—लेखकों को उनकी आवश्यकतानुसार ऐसी आर्थिक सहायता मिलनी चाहिये कि वे निश्चित होकर साहित्यिक जीवन व्यतीत कर सकें।

२—सुयोग्य लेखकों को, उनकी योग्यता के अनुसार, आदर मान तथा पुरस्कार आदि मिलने की समुचित व्यवस्था होनी चाहिये, जिससे उन्हें अपने कार्य में प्रोत्साहन मिले और दूसरे लेखकों पर भी अच्छा प्रभाव पड़े।

३—ऐसा प्रबन्ध होना चाहिये कि अच्छी उपयोगी पुस्तकों की हस्त-लिखित प्रतियां तैयार होते ही प्रकाशित होजाया करें, चाहे उनके प्रकाशन से, कुछ आर्थिक हानि ही क्यों न

हो। ऐसा न होना चाहिये कि वे यों ही पड़ी रह कर नष्ट-प्रायः हों; या वे कुपात्रों के हाथ में चली जावें, और, सर्व साधारण उनसे लाभ उठाने से बंचित रहे।

४—लेखकों का प्रकाशकों से अच्छा सम्बन्ध बने रहने में ही देश का कल्याण है। प्रकाशकों को लेखकों से यथा-सम्भव उदारता का व्यवहार करना चाहिये। उन्हें अपनी पूँजी के बल पर लेखकों के मानसिक श्रम से अनुचित लाभ न उठाना चाहिये।

५—जिन अच्छी उपयोगी पुस्तकों के पाठक कम हों, उन के प्रचार के लिए समाज तथा राज्य को समुचित सहयोग प्रदान करना चाहिये।

६—लेखकों को जिन पुस्तकों, रिपोर्टों, शिला-लेखों आदि से सहायता लेने की आवश्यकता हो, वे उन्हें दिये जाने की समुचित व्यवस्था होनी चाहिये।

७—लेखकों को उनकी आवश्यकतानुसार ऐतिहासक स्थानों की यात्रा करने, तथा भौगोलिक और आर्थिक स्थिति के अध्ययन करने की सुविधायें मिलनी चाहियें।

लेखकों के ध्यान देने की बातें—लेखकों को अपना उत्तरदायित्व स्मरण रखना चाहिये। वे जो बात लिखें, शुद्ध

निष्पक्ष हृदय से लिखें, खुब विचार कर और मनन करके लिखें। सम्भव है, उन्हें अपनी खरी बातों के लिए दूसरों के दुर्वाक्य ही नहीं, और भी अनेक प्रकार की मुसीबतें सहनी पड़ें। उन की रचना के पढ़ने वाले कुछ इने शिने ही व्यक्ति हों। ऐसी बातों के लिए उन्हें तैयार रहना चाहिये। वे ध्यान रखें कि उनकी शक्ति का — दैवी धरोहर का — दुरुपयोग न हो। वे सदैव सावधान रहें कि संसार का कोई प्रलोभन, धन, मान या प्रतिष्ठा आदि उनकी आत्मा और स्वाभिमान को न खरीद सके।

### (ख) सम्पादक

हम श्रद्धा-पूर्वक उस महात्मा पुरुष के सामने नत-मस्तक होंगे, जिसके द्वारा सम्पादित पत्र चाहे थोड़े ग्राहक वाला, बिना चित्रों वाला, और क्षीण आकार प्रकार वाला ही क्यों न हो, पर जो व्यक्ति अपने सुनिश्चित सिद्धान्त और आदर्श की रक्षा के लिए अपने विविध सुखों को न्यौछावर कर देता है। जो दीन दुखियों की सुधि लेता है, चाहे ऐसा करने में उसे स्वयं ही दीन दुखी क्यों न होना पड़े; लक्ष्मी जिस के के लिए कोई प्रलोभन नहीं; धर्म, समाज या राज्य के सत्ताधारी, महन्त, पंच, या अहलकारों की धमकियों और ज्यादतियों का जिसको कोई आतंक नहों। ऐसे सम्पादकों की एक

एक पंक्ति तथा एक एक अक्षर ऐसा बहुमूल्य है कि उसे ख़रीदने का किसी में साहस या सामर्थ्य नहीं। परमात्मा करे ऐसे सज्जनों की संख्या यथेष्ट हो, और गत-वैभव भारत का, नहीं नहीं, संसार के मनुष्यत्व का, उच्चार हो।

**सम्पादकों को दी जाने वाली सुविधायें—**

१—सम्पादन कला की शिक्षा के लिये समुचित सुव्यवस्था होनी चाहिये, और प्रत्येक सम्पादक को, ( तथा सम्पादक होने वाले व्यक्ति को ) उस शिक्षा की प्राप्ति के लिये विविध सुविधाएं तथा यथेष्ट प्रोत्साहन मिलना चाहिये।

२—लोक-हित के लिये प्रत्येक सम्पादक को सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक आदि विषयों पर लिखने तथा टीका टिप्पणी करने का अधिकार होना चाहिये। यदि वह राजद्रोह, साम्प्रादायिक द्वेष, न्यायालय का अपमान, या किसी की मानहानि आदि के विचारों का प्रचार करके अपने अधिकार का दुरुपयोग करे, तो उसका विचार स्वतंत्र न्यायालय में किया जाय।

जब तक सम्पादक अपने कार्य की मर्यादा भंग न करे, केवल इस आशंका से कि वह मर्यादा भंग कर सकता है, उसके अधिकार के उपयोग में कोई वाधा नहीं ढाली जानी चाहिये। उदाहरणार्थ असाधारण परिस्थिति की बात छोड़ कर, किसी शासक के शासन-अधिकार से दी हुई आशा से

सम्पादक के कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये; न किसी पत्र पत्रिका का प्रचार, या किसी खास प्रान्त आदि में उसका प्रवेश रोका जाना चाहिये; न सम्पादक के मकान या कार्यालय की तलाशी ली जाकर किसी पत्र पत्रिका के अंक, संख्या या हस्तलिखित लेख अथवा अन्य आवश्यक कागज़, रजिस्टर या पुस्तक आदि जब्त की जानी चाहिये; और, न किसी नये पत्र के प्रकाशन में कुछ बंधन या शर्त लगायी जानी चाहियें।

३—यदि किसी सम्पादक को अपने अधिकार के दुरुपयोग के कारण कभी सादी कैद की सज्जा दी जाय (सख्त कैद की सज्जा तो कभी होनी ही न चाहिये), तो उसके सुख, स्वास्थ, सुविधा और शांति की यथेष्ट सुव्यवस्था रहनी चाहिये। उसे पढ़ने लिखने, और मनोरञ्जन के समुचित साधन प्राप्त होने चाहियें, तथा उसे अपने सभी सम्बन्धियों से मिलने, और अपने कुशल समाचार देशवासियों को भेजने देना चाहिये।

४—प्रत्येक सम्पादक को अपने द्वारा सम्पादित पत्र में अपने विचार प्रकट करने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिये, प्रकाशक या मालिक का उसपर कोई दबाव नहीं पड़ना चाहिये। जिस समय कोई व्यक्ति किसी पत्र का सम्पादन-भार ग्रहण करता है, उस समय यह मान लिया जाता है कि

वह उस पत्र सम्बन्धी नीति से सहमत है। पश्चात् प्रत्येक, या किसी विशेष प्रश्न पर सम्पादक को मालिक की सम्मति लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि सम्पादक पत्र की नीति के विरुद्ध कार्य करे तो वह अपने पद से पृथक् किया जा सकता है, परन्तु निर्धारित नीति के अनुसार कार्य होते हुए, सम्पादक की स्वाधीनता में हस्तक्षेप किया जाना, उसके गौरव-पूर्ण पद को अपमानित करना है। यदि किसी पत्र के स्वामी को उस पत्र द्वारा अपने विचारों का प्रचार करना अभीष्ट हो तो उसे सहकारी कार्य-कर्ताओं की सहायता से स्वयं सम्पादक का कार्य करना, और सम्पादक बनना चाहिये। ऐसे नाम मात्र के दिखावटी सम्पादक न होने चाहिये जो अपने स्वतंत्र विचार प्रकट न कर सकें।

५-राज्य में किसी विषय का, विशेषतया भाषण लेखनादि के नियंत्रण का, कोई कानून बनने के पहले, उसके मसविदे पर सुयोग्य सम्पादकों का मत लिया जाना चाहिये।

६-किसी खास सम्प्रदाय या जाति विरादरी से सम्बन्ध रखने वाले पत्रों को छोड़ कर, देशी भाषाओं के सब सार्वजनिक पत्रों के सम्पादकों को राज्य तथा जनता की समस्त सार्वजनिक संस्थाओं की रिपोर्ट, और बजट आदि बिना मूल्य मिलने चाहिये। विदेशी भाषाओं के पत्रों के सम्पादकों को ये भले ही कुछ मूल्य में दी जांय।

७—सम्पादकों को अधिकार होना चाहिये कि वे किसी लेखक या सम्बाददाता की भाषा में आवश्यक संशोधन करें, लेखों या सम्बादों को संक्षिप्त करें, अथवा जो सार्वजनिक हित की दृष्टि से अनावश्यक हों, उन्हें छपने से रोक दें। परन्तु, सम्पादकों को किसी लेखक या सम्बाददाता के भाषों को बदलने का कभी भी विचार न करना चाहिये।

८—सम्पादकों को अधिकार होना चाहिये कि किसी लेखक या सम्बाददाता की इच्छा से उसका नाम गुप्त रखें, अथवा पत्र में उसको कल्पित नाम दे दें। परन्तु उन्हें ऐसे नामों से अपने या दूसरों के लेख नहीं छपाने चाहिये जिनसे जनता में भ्रम हो।

९—सम्पादकों को अधिकार होना चाहिये कि वे अपने समुचित स्वार्थों की रक्षा के लिये अपना संगठन करें, और, समाज, पत्र-सञ्चालकों, तथा राज्य के अनुचित दबाव से बचें।

१०—सम्पादकों के प्रति अन्याय होने, या उन पर बीमारी, बेकारी आदि कोई कष्ट आने की दशा में, उन्हें समुचित सहायता दी जाने के लिये स्थायी कोष की सुव्यवस्था होनी चाहिये।

**नोट—**—सम्पादन कार्य के लिए बहुत अनुभूत और योग्यता की आवश्यकता है। सम्पादकों द्वारा अपना कर्तव्य पालन बहुधा समाज या राज्य की

और से मिलने वाली आपत्तियों का सामना करना पड़ता है। पद पद पर उनके धैर्य, त्याग, कष्ट-सहिणुता और गम्भीरता की परीक्षा होगी। इन बातों का, सम्पादक बनने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पहले से ही भली भाँति विचार कर लेना चाहिये।

### ( ग ) अध्यापक

अध्यापक हमें ज्ञान-चक्षु देते हैं। जिनके ये चक्षु नहीं होते, उनके लिए अपना हिताहित पहिचानना कठिन है, उन्हें संसार-यात्रा में अन्धकार का सामना करना होता है। अध्यापकों की कृपा से हम अपने देश के सुयोग्य नागरिक बन सकते हैं, और अपने विविध कर्तव्यों को पालन करते हुए अपना मनुष्य जीवन सफल कर सकते हैं। इसी लिए शास्त्रकारों ने अध्यापक का दर्जा माता पिता के समान माना है। इससे अन्यान्य नागरिक श्रेणियों में अध्यापकों की उपयोगिता भली भाँति सिद्ध है।

अध्यापकों को दी जाने वाली सुविधायें:—

१-प्रत्येक अध्यापक को कम से कम इतना वेतन अवश्य मिलना चाहिये कि वह अपना, तथा, अपने साधारण परिवार का निर्वाह कर सके, और, उसे आजीविका के लिये कोई अन्य कार्य करने की आवश्यकता न हो।

२-प्रत्येक अध्यापक की अधिकार होना चाहिये कि वह

अपने लड़के लड़कियों को, जहाँ तक वे चाहें, उच्चतम शिक्षा निदशुल्क दिला सकें।

३-प्रत्येक अध्यापक को साहित्यिक उन्नति करने, और विविध साहित्यिक परीक्षाएं देने के लिये यथेष्ट अवसर तथा प्रोत्साहन मिलना चाहिये।

४-प्रत्येक अध्यापक को साहित्य सेवा करने की विविध सुविधाएं होनी चाहियें। उसके अवलोकन के लिये विविध पत्र पत्रिकाएं और ग्रंथ मिलने चाहियें।

५-प्रत्येक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों तथा अन्य युवकों की, विशेषतया दलित जाति के, या निर्धन, बालकों की नैतिक, मानसिक और शारीरिक उन्नति करने के लिये समुचित सुविधाएं तथा प्रोत्साहन मिलना चाहिये।

६-अध्यापकों की वीमारी या वृद्धावस्था आदि की दशा में, उनकी तथा उनके परिवार की सहायता के लिये प्रत्येक शिक्षा संस्था में, जनता अथवा सरकार की ओर से, एक स्थायी कोष का प्रबन्ध होना चाहिये।

७-अध्यापक सर्व साधारण के सम्मान के अधिकारी हैं। शिक्षा संस्थाओं के संचालकों तथा निरीक्षकों को चाहिये कि उनसे स्वामी और सेवक का, तथा भिन्न भिन्न अध्यापकों में

ऊंच नीच का भाव न रखें, सब से प्रेम, सहानुभूति और विश्वास का व्यवहार करें।

८—प्रत्येक सज्जन को, जो अध्यापक हो, अथवा होना चाहता हो, अध्यापन कला की शिक्षा (Training) प्राप्त करने के लिये समुचित सुविधायें तथा प्रोत्साहन मिलना चाहिये।

९—अध्यापकों को उस प्रकार के सब अधिकार होने चाहियें, जो सार्वजनिक नौकरों के प्रसंग में पहिले बताये जा चुके हैं।

अध्यापकों के ध्यान देने की बातें—अध्यापकों को चाहिये कि वे अपने उत्तरदायित्व का ध्यान रखते हुए विद्यार्थियों को हर प्रकार से सुयोग्य नागरिक बनाने का प्रयत्न करें; केवल शिक्षा संस्था का पाठ्य-क्रम पूरा करा देने से ही अपने कर्तव्य की इति श्री न समझें। उन्हें अपने छात्रों की उन्नति से उसी प्रकार प्रसन्न होना चाहिये, जैसे माता पिता अपनी सन्तान की उन्नति से होते हैं। उनमें अक्रोध, त्याग, तपस्या और सेवा का भाव यथेष्ट मात्रा में होना चाहिये।

# ग्रन्थारहकां फरिच्छेद

## मनोरंजन करने वाले

इस श्रेणी में नाटक, सिनेमा सरकस, या अन्य खेल तमाशे दिखाने वाले, तथा गाने वजाने और नाचने वाले आदि शामिल हैं।

इनकी उपयोगिता—यद्यपि जहां तहां कुछ आदमी ऐसे भी होते हैं जो अपने दैनिक कार्यों में ही यथेष्ट आनन्द का अनुभव कर लेते हैं, तथापि अधिकांश जन समाज की प्रकृति ऐसी होती है कि जो सांसारिक काम वे रोज़ मर्हा करते हैं, उन में उन्हें थोड़े बहुत समय में कुछ नीरसता प्रतीत होने लगती है। जिस प्रकार यंत्रों में समय समय पर तेल देने की आवश्यकता होती है, उसके बिना उनमें रगड़ बढ़जाने, और अन्ततः उनके जल्दी क्षय होजाने की सम्भावना होती है, उसी प्रकार सर्व साधारण को समय समय पर कुछ मनोरंजन, दिल वहलाच, अथवा हँसने खेलने आदि की जरूरत होती है, और इसके अभाव में, उनमें स्फूर्ति का संचार नहीं होता। इससे उन लोगों के कार्य की उपयोगिता स्पष्ट है जो स्वयं अनेक कष्ट उठाते हुए भी\* तरह तरह के

\* सिनेमा की फिल्मों के चित्र बनाकरने के लिए अभिनेताओं को ऊची

दृश्य दिखाकर या मनोहर बातें सुनाकर, अथवा देखने सुनने की चिन्ताकर्षक सामग्री उपस्थित करके, समाज का मनोरंजन करते हैं।

इन्हें दी जाने वाली सुविधायें—इन्हें अपना कर्तव्य पालन करने के लिए जिन जिन सुविधाओं की आवश्यकता हो, उनके दिये जाने की व्यवस्था होनी चाहिये। यदि इन्हें अपने कार्य की उच्चति करने के वास्ते धन की आवश्यकता हो, अथवा यदि भरसक कार्य करने पर भी इनकी आय, आजीविका के लिए पर्याप्त न हो तो इन्हें आर्थिक सहायता मिलने की सुविधा होनी चाहिये।

इनका नियंत्रण—जो लोग सनसनी फैलाने वाले, शृंगार रस प्रधान, या अश्लील दृश्य दिखा कर जनता और विशेषतया युवकों में कुरुचि बढ़ाने वाले तथा उन्हें पथ-भ्रष्ट करने में सहायता देने वाले हौं, उनका समुचित नियंत्रण रहना चाहिये।

---

पहाड़ियों की चोटियों पर दौड़ना, चलते हुए वायुयान, मोटर, रेल आदि से उत्तरना आदि जोखम के कार्य करने पड़ते हैं। नटों या अन्य तमाशा दिखाने वालों को भी बहुधा बहुत शारीरिक या मानसिक कष्ट के काम करने होते हैं। क्या ही अच्छा हो, यदि सर्वे साधारण इन्हें नापश्न्द करके, इनके करने वालों को कृषि पहुंचाने के उत्तरादायित्व से मुक्त रहे !

# बारहवां परिच्छेद

## महन्त

‘समाज में हर समय ऐसे योग्य उत्तराधिकारियों का मिलना कठिन होता है, जो अपने आचार्य के स्थान पर ईमानदारी और धर्म-निष्ठा के साथ कार्य करें। इनमें से अधिकांश स्वार्थी और विलासी होते हैं। ये लोग अपनी गही और धर्म की आड़ में मनमाने अनाचार और व्यभिचार करते हैं।

— चन्द्रराज भंडारी

प्रत्येक राज्य के अधिकांश नागरिक किसी न किसी धर्म को मानने वाले होते हैं, उनके विविध मंदिर, गिरजाघर या मसजिद आदि भी होते हैं। किसी किसी देश में कोई खास धर्म राज-धर्म मान लिया जाता है। परन्तु प्रजातंत्र अधिकतर इस पक्ष में होता है कि सरकार देश के सब धर्मों के उसमान रूप से देखे। वह न किसी मत के मानने वालों से रियायत करे, और न किसी मत के मानने वालों से सख्ती। इस प्रकार साधारणतया उसका महन्तों के कार्यों में हस्तक्षेप करना अनावश्यक प्रतीत होता है; परन्तु जब महन्त बड़ी सम्पत्ति के मालिक बनकर, उसका दुरुपयोग, तथा अपने उत्तरदायित्व की अवहेलना करें, धर्म का रूप

राजसिक होजाय और यह सत्ता स्वार्थी तथा अज्ञानी आदमियों के हाथ में आ जाय, उस समय, राज्य या समाज की ओर से किसी प्रकार का नियन्त्रण न रहना अनुचित और हानिकर है।

**विचारणीय बातें—**—इस सम्बन्ध में निम्न लिखित बातें विचारणीय हैं :—

१—महन्त अपने अपने अधिकार-गत सम्पत्ति, आय, और भूमि आदि के संरक्षक ( इस्टी ) मात्र हैं, स्वामी नहीं। उन्हें अपने व्यक्तिगत आवश्यक खर्च के लिए एक सीमा तक ऐसी रकम लेने का अधिकार है, जिससे वे साधारणतः सुख-पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें। परंतु आमोद प्रमोद या भोग विलास के लिये धन खर्च करने का उन्हें कदापि अधिकार नहीं होना चाहिये।

२—महन्तों को न्यायोचित मार्गी से, अपने अधिकार-गत सम्पत्ति की रक्षा और वृद्धि करने का अधिकार है, परन्तु इसके लिये उन्हें सर्व साधारण में अन्ध विश्वासों का प्रचार, या व्यर्थ मुकदमेवाजी आदि करने का अधिकार कदापि नहीं होना चाहिये।

३—महन्तों को अधिकार होना चाहिये कि वे अपने अपने सम्प्रदाय के मन्दिरों के लिये सुयोग्य उत्तराधिकारियों के

चुनाव में समुचित योग दे सकें।\* परन्तु, किसी महन्त को यह अधिकार नहीं होना चाहिये कि वह अपने किसी निकट सम्बन्धी शिष्य आदि को, अयोग्य होते हुए भी, किसी गही आदि का उत्तराधिकारी बनावे, या बनने में सहायता दे।

४—किसी ऐसे व्यक्ति को महन्त चुने जाने या बने रहने का अधिकार न होना चाहिये, जो ३५ वर्ष से कम उम्र का, नशेबाज़, अनपढ़, पागल, अपव्ययी, दुराचारी, दिवालिया या बेर्इमान हो, या जिसे गृहस्थी सम्बन्धी कार्य करने हों, अथवा जिस पर किसी आश्रित व्यक्ति के पालन करने का भार हो, या जो मन्दिर में पूजा कथा आदि का समुचित प्रबन्ध न कराये।

५—महन्तों को, अपने कर्तव्य-पालन में सहायता लेने के लिये एक ऐसी निर्धारित संख्या में शिष्य या पुजारी आदि रखने का अधिकार होना चाहिये जो अत्यन्त आवश्यक हो। परन्तु, किसी पुरुष महन्त का शिष्य कोई लड़ी न होनी चाहिये, और, न लड़ी महन्त का शिष्य कोई पुरुष होना चाहिये; न कोई शिष्य ऐसा व्यक्ति ही होना चाहिये जिसमें वे दुर्गुण हों,

\* किसी सम्प्रदाय के मन्दिर आदि के महन्तों तथा उनके उत्तराधिकारियों को चुनने का अधिकार उस सम्प्रदाय के मानने वाले धनी निर्धन उन सब समाज-सेवकों को होना चाहिये जो नाबालिग, नशेबाज़, अनपढ़, पागल, दुराचारी, दिवालिये या बेर्इमान न हों।

जिनके कारण हमने ऊपर किसी व्यक्ति को महन्त चुने जाने के अयोग्य ठहराया है।

६—किसी महन्त या उसके किसी शिष्य आदि का यह अधिकार नहीं होना चाहिये कि वह देवोत्तर सम्पत्ति को बेचे, विगड़े या रहन बय आदि करे। इस सम्पत्ति का अधिकार उस सम्प्रदाय के सार्वजनिक कार्यकर्ताओं की सुसंघटित समितियों को होना चाहिये; और उन्हें इसको उस सम्प्रदाय वालों के सार्वजनिक हितार्थ ही खर्च करते रहना चाहिये।

७—महन्तों तथा पुजारियों को चाहिये कि धर्मचार्य या धर्म-सेवक के नाते उनका जो महान उत्तरदायित्व है, उसे भली भांति हृदय में धारण करें, और उसे पालन करने के लिये यथेष्ट योग्यता प्राप्त करें; संयमी, निस्त्वार्थ, सच्चरित्र, तथा सादगी का जीवन व्यतीत कर दूसरों के वास्ते उच्च आदर्श उपस्थित करें; और, सर्व साधारण के, विशेषतया अपने सम्प्रदाय के अनुयायियों के, वास्तविक हित की चिन्तना करते रहें, और, इस विषय में अन्य सुयोग्य व्यक्तियों से परामर्श लेते रहें।

८—प्रत्येक महन्त को अपने सम्प्रदाय के देश हितैषी नियमों का पालन तथा प्रबार करना चाहिये। उसे चाहिये

कि अपने अधिकार-गत सम्पत्ति का सदैव सदुपयोग करे, हर साल अपनी आय तथा व्यय का चिट्ठा बना कर, सर्वे साधारण के अवलोकन के लिए रखें; और, इस विषय में सुयोग्य कार्य कर्ताओं के विचारों से लाभ उठावे।

९—महन्तों को चाहिये कि मंदिर या जायदाद के द्रस्टियाँ, चेलों, तथा यात्रियाँ आदि के उद्धराने आदि का यथोचित प्रबन्ध करें, अपने क्षेत्र में स्वास्थ और सफाई का ध्यान रखें, सर्वे साधारण को खंडन मंडन रहित धार्मिक शिक्षा दिलाने, सदुपदेश और कथायें सुनाने आदि की व्यवस्था करें, और अन्य सार्वजनिक सेवा तथा उपयोगिता के कार्यों के लिए तत्पर रहें।

१०—वर्तमान अवस्था में अनेक स्थानों में मंदिरों की दशा शोचनीय है, और, देवोत्तर सम्पत्ति का दुरुपयोग हो रहा है। इसका एक प्रधान कारण महन्तों में यथोचित गुणों का अभाव होना है। यथेष्ट सुधार तभी हो सकता है, जब प्रत्येक सम्प्रदाय के कुछ सुयोग्य व्यक्तियों की स्थानीय संस्थाएं अपने अपने क्षेत्रके मंदिरों और देवोत्तर सम्पत्ति की परिस्थिति का यथेष्ट निरीक्षण करती रहें; और, इन संस्थाओं पर इसी प्रकार की प्रान्तीय संस्थाओं का समुचित नियंत्रण रहे।

# तेरहवाँ परिच्छेद

## महिलायें

जिस प्रकार एक पंख का पक्षी उड़ नहीं सकता, एक पैर वाला मनुष्य चल नहीं सकता, उसी प्रकार नारी शक्ति को पंगु बनाकर पुरुष भी कुछ नहीं कर सकते ।

-- देवेन्द्रनारायण सिंह

खियां ही राष्ट्र की निर्माता और जननि हैं । जो व्यक्ति आज राजनीतिश्च, योद्धा, कवि, चित्रकार, दार्शनिक या आविष्कारक आदि के रूप में, प्रसिद्ध हो रहे हैं, उन्होंने अपनी माताओं की गोद में ही यह योग्यता प्राप्त की है । वास्तव में जो संस्कार माताएं अपना दूध पिलाते हुए अपनी सन्तान में डाल देती हैं, वे प्रयः जन्म भर बने रहते हैं । प्रत्येक देश में भावी नागरिकों का बनना बिगड़ना बहुत कुछ महिला समाज पर निर्भर होता है । तथापि, खेद का विषय है कि संसार के इतिहास में बहुधा उनके साथ अन्याय ही होता रहा है । उन्हें मूर्ख रखा गया, भोग विलास का साधन बनाया गया, और मानवोचित अधिकारों से वंचित किया गया । सभ्य कहे जाने वाले देशों में भी अब से कुछ समय पूर्व तक खियोंकी दशा बहुत शोचनीय थी । अब क्रमशः

जागृति होरही है। भारतवर्ष में यद्यपि सुधार हो रहा है, अभी बहुत कुछ कार्य करना शेष है।

**विचारणीय बातें—**भारतीय महिलाओं की उन्नति के लिए विशेषतया निम्न लिखित बातें विचारणीय हैं :—

१—स्त्रियों को अपनी शिक्षा, स्वास्थ्योन्नति तथा सुख-समृद्धि के लिये पुरुषों के समान ही अधिकार होना चाहिये। राजनैतिक, सामाजिक तथा धार्मिक अधिकारों की दृष्टि से पुरुषों और स्त्रियों में कोई अन्तर नहीं होना चाहिये।

२—स्त्रियों को मातृत्व (Motherhood) और धातु-कार्य (Nursing) की शिक्षा पाने का अधिकार होना चाहिये। समाज अथवा राज्य की ओर से इसकी समुचित व्यवस्था होनी चाहिये।

३—स्त्रियों को अपनी योग्यतानुसार निर्वाचन में मत देने, प्रबन्धक तथा व्यवस्थापक संस्था का सदस्य होने, तथा देश सेवा सम्बन्धी अन्य कार्य करने का अधिकार होना चाहिये। इसमें कोई कानूनी वाधा न होनी चाहिये।

हाँ, निर्वाचन में मत देने के अतिरिक्त, स्त्रियों को प्रायः ऐसा कोई कार्य-भार लेना या पद स्वीकार करना न चाहिये, जिससे उनके गृहस्थ सम्बन्धी उत्तरदायित्व के निबाहने में

वाधा उपस्थित हो। साधारणतया पुरुषों से प्रतियोगिता करने की अपेक्षा, उनका आदर्श राज्य और संसार को सचे सुयोग्य मनुष्य देना, होना चाहिये।

४—स्त्रियों के माता पिता या निकट सम्बन्धी आदि को यह अधिकार नहीं है कि वे स्त्रियों को उनकी इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति से विवाह करने पर वाध्य करें। यदि कोई व्यक्ति लोभ, अन्धविश्वास या परम्परा आदि के विचार से किसी स्त्री का अनमेल विवाह करे, या दुराचारी से अथवा ऐसे आदमी से विवाह करे जिसकी अन्य स्त्री हो, तो उक्त स्त्री को अपनी आत्मा के आदेशानुसार चलने, और ऐसे अनुचित सम्बन्ध से बचने का पूर्ण अधिकार होना चाहिये। यदि किसी कारण से सम्बन्ध हों ही जाय, तो उस स्त्री को न्यायालय द्वारा उससे मुक्त होने तथा दूसरे योग्य व्यक्ति से सम्बन्ध करने का अधिकार होना चाहिये।

५—जो स्त्री दुराचार आदि किसी के विशेष कारण बिना अपने पति द्वारा त्याग दी जाय, उसे अपने पति से यथेष्ट आर्थिक सहायता पाने तथा अपनी आजीवका की सुव्यवस्था कराने का अधिकार होना चाहिये।

६—जो स्त्री आमरण या निर्दिष्ट काल तक ब्रह्मचारिणी रहना चाहे, उसे उक्त काल तक अविवाहित रहने का

अधिकार होना चाहिये। किसी व्यक्ति का उसे विवाह करने के लिये वाध्य करना अनुचित, और दंडनीय माना जाना चाहिये।

७—जो स्त्री अपने पति की मृत्यु के बाद ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत करना चाहे, वह ऐसा करने में स्वतंत्र है। ऐसा करने की दशा में उसे अमंगल रूप न माना जाना चाहिये।

८—जो विधवा स्त्री अपना पुनर्विवाह करना चाहे, उसके मार्ग में किसी को वाधक न होना चाहिये; और, न विवाह के उपरान्त ही उसका कभी कुछ अनादर होना चाहिये।

९—अल्पायु या अक्षतयोनि वालविधवाओं को विधवा न माना जाना चाहिये।

१०—कोई स्त्री देवदासी आदि न बनायी जानी चाहिये।

११—पति का देहान्त होजाने पर, पुत्र न होने की दशा में, उसकी सम्पत्ति उसकी स्त्री को ही मिलनी चाहिये।

१२—स्त्रियों को विरासत सम्बन्धी तथा अन्य साम्पत्तिक अधिकार, एवं लड़का गोद लेने का अधिकार, पुरुषों के समान ही होना चाहिये। वर्तमान परिस्थिति में हिन्दू कानून तथा रिवाज के अनुसार स्त्रियों के अधिकार बहुत कम हैं, इसमें यथेष्ट सुधार होना चाहिये।

१३—स्थियों को स्मरण रखना चाहिये, कि स्वास्थ और स्वाधीनता में ही वास्तविक सौंदर्य है; अतः उन्हें उन आभूषणों, फैशन, एर्डा, तथा कुवासनाओं को त्याग देना चाहिये, जो उनके स्वास्थ, संयम या स्वाधीनता में वाधक हों। जो आदमी, चाहे वह उनका कोई सम्बन्धी ही क्यों न हो, उनके इस कार्य में हस्तक्षेप करे, उसका उन्हें भरसक विरोध करना चाहिये। सुयोग्य महिलाओं को अपनी अन्य बहिनों के उत्थान में सहायक होना चाहिये।

नोट—स्मरण रहे कि महिलाओं की, अथवा दालकों और विद्यार्थियों आदि की (जिनके विषय में आगे कहा जायगा), कोई पृथक् नागरिक श्रेणी नहीं होती; इस लिए साधारण स्थिति में इन्हें कुछ पृथक् सुविधाओं आदि की भी आवश्यकता नहीं होती। विशेष परिस्थिति के कारण ही, इनका स्वतंत्र विचार किया गया है।

# चौदहवाँ परिच्छेद

## बालक

“ बालकों के अधिकार उस स्थिति के कारण नहीं होते, जिसमें वे हैं, वरन् उस भविष्य के विचार से होते हैं, जिसे उनके प्राप्त करने की सभ्भावना है। उनके अधिकार इस लिये है कि वे उनके विकास में सहायक हों, और उन्हें सुयोग्य नागरिक बनने की तैयारी का अवसर मिले। ”

इस लेख में बालकों से अभिप्रायः १५ वर्ष तक की उम्र के पुरुषों तथा स्त्रियों से है। ये ही देश के भावी नागरिक हैं। इनकी शिक्षा दीक्षा, भरण पोषण जितना उत्तम रीति से होगा, उतना ही ये अधिक योग्य होंगे और भविष्य में राष्ट्र की अधिक उन्नति करने में समर्थ हो सकेंगे। इस प्रकार प्रत्येक राष्ट्र का भविष्य उसके बालकों पर निर्भर है।

**विचारणीय बातें—** इनके सम्बन्ध में निम्न लिखित बातें विचारणीय हैं:—

—वाल्यावस्था का समय शिक्षा प्राप्त करने तथा विविध शक्तियों का विकास करने का है। अतः किसी अनाथ को, या परित्यक्त बालक को भी, अपनी आजीविका स्वयं

प्राप्त करने के लिये वाध्य न होना चाहिये। अनाथ या परित्यक्त बालकों की शिक्षा तथा आजीविका का प्रबन्ध समाज को करना चाहिये। जिन बालकों की ओर समाज ध्यान न दे, उनके लिये समुचित प्रबन्ध राज्य को करना चाहिये।

२—यदि कभी किसी बालक से कोई अपराध होजाय, तो बैत आदि की सज्जा से वह अपमानित न किया जाय; वरन्, उसके सत्संग और नैतिक सुधार की समुचित योजना की जानी चाहिये।

३—प्रत्येक बालक को कम से कम प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इस शिक्षा की सुव्यवस्था निःशुल्क और अनिवार्य होनी चाहिये।

४—कोई बालक परिभ्रष्ट या वर्णशंकर कहा जाकर समाज में अस्वीकृत नहीं किया जाना चाहिये। सब समाज के पवित्र अंग हैं। किसी बालक का उसके जन्म या जाति आदि के कारण, अनादर या अपमान न होना चाहिये। यदि वर्णशंकर कहे जाने वाले बालक अपमानजनक दृष्टि से देखे जायं, तो उन बालकों को कोई दण्ड न देकर उनके उत्पन्न करने वालों को दंड दिया जाना चाहिये।

५—विपत्ति काल में सबसे प्रथम बालकों को सहायता प्राप्त करने का अधिकार है।

६—किसी मनुष्य को यह अधिकार कदापि नहीं होना चाहिये कि वह अपने स्वार्थ के लिये किसी बालक से अनुचित श्रम कराकर स्वयं लाभ उठावे, या उससे कोई ऐसा कार्य करावे जो इसकी रुचि, स्वभाव अथवा आचार विचार को कुत्सित करने में सहायक हो ।

७—माता पिता, तथा उनके अभाव में निकट सम्बन्धी बालकों के संरक्षक अवश्य हैं, परन्तु उनके स्वामी नहीं । वे उनको बेच नहीं सकते, तथा अपने स्वार्थ के लिये अथवा स्वभाव-वश उनकी छोटी आयु में, या अनमेल । अथवा अयोग्य विवाह नहीं कर सकते । वे उनकी सम्पत्ति केवल उनके हितार्थ ही व्यय करने के अधिकारी होने चाहियें ।

८—यदि कोई मनुष्य किसी बालिका से अनुचित सम्बन्ध करे, और समाज उसे दंड न दे तो वह राज्य से दंडित होना चाहिये ।

# पन्द्रहवां परिच्छेद

## विद्यार्थी

—~—~—~—~—

रामप्रसाद को संस्कृत पढ़ाने के लिए, तुम्हें केवल संस्कृत ही नहीं जानना चाहिये, तुम्हें रामप्रसाद को भी जानना चाहिये। शिक्षा सम्बन्धी सब समस्याओं का अंतिम हल यह है।

— एफ. जी. पीयर्स.

विद्यार्थी जीवन, भावी नागरिक कर्तव्यों के पालन की तैयारी का समय है। और, किसी कार्य के लिए जितनी अच्छी तैयारी होजाती है, उतना ही वह काम अधिक सुचारू-रूप से हुआ करता है। इससे विद्यार्थी जीवन के महत्व का अनुमान सहज ही किया जा सकता है।

**विचारणीय बातें**—इनके सन्बन्ध में वे बातें तो स्मरण रखी ही जानी चाहियें, जो बालकों के विषय में पहले लिखी गयी हैं। उनके अतिरिक्त, निम्न लिखित बातें विचारणीय हैं:-

१—शिक्षा संस्थाओं का कार्य-क्रम विद्यार्थियों के लिए नीरस और कठोर न होकर आकर्षक और मनोरंजक होना चाहिये। [ इसके अभाव में अनेक बालक बालिकायें आरम्भ

से ही शिक्षा प्राप्ति से जैसे तैसे बचने का प्रयत्न किया करती हैं, और इस प्रकार पीछे जन्म भर मूर्ख बनी रहती हैं ] ।

२—प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी शिक्षा के लिये विविध प्रकार की आवश्यक सुविधाएं, सहायता और परामर्श मिलना चाहिये ।

३—विद्यार्थियों की केँवल मानसिक शिक्षा की ओर ही ध्यान रखा जाकर उनकी शारीरिक, नैतिक, सदाचार सम्बन्धी, और नागरिक शिक्षा का भी समुचित प्रयत्न किया जाना चाहिये ।

४—प्रत्येक विद्यार्थी के सुधार और उन्नति के विविध उपायों को काम में लाया जाना चाहिये । किसी विद्यार्थी की, विशेषतया बालक और युवक की, किसी प्रकार की भूल या कर्तव्य पालन की त्रुटि के लिये, उससे कुछ कठोर बर्ताव न किया जाना चाहिये । उसे बुरा भला कहने या शारीरिक दंड देने से, उसकी आत्म-सम्मान की भावना को (जिसे जागृत करना शिक्षा का उद्देश्य है), धक्का पहुंचता है, इसलिये इन बातों को त्याग दिया जाना चाहिये । उससे सदैव प्रेम, सहानुभूति तथा उदारता का व्यवहार होना चाहिये ।

५—विद्यार्थियों का मास्तिष्क वर्द्धी बातों से न भरा जाना

चाहिये। उन्हें साहित्यिक शिक्षा के साथ कुछ कला कौशल की भी शिक्षा दी जानी चाहिये, जिससे उनके मस्तिष्क के साथ ही कर्मन्दियों का भी समुचित शिक्षण हो, उन्हें अम की महत्ता का अनुभव हो, तथा आजीविका प्राप्ति में सुगमता हो।

६—विद्यार्थियों को उनकी अवस्था के अनुसार, राजनैतिक ज्ञान उपलब्ध होता रहना चाहिये।

७—विद्यार्थियों को भ्रमण तथा प्रकृति—निरीक्षण का यथेष्ट अवसर तथा सुविधा मिलनी चाहिये, और उन्हें एक श्रेणी या दर्जे ( Class ) से दूसरी श्रेणी में चढ़ाने की क्रिया ऐसे सिद्धान्तों पर स्थिर होनी चाहिये, जिससे उन पर परीक्षा का एक बारगी भार न पड़े, तथा उनके भाग्य का निपटारा जल्दी में ही न कर दिया जाय।

८—किसी विद्याभिलाषी को उसकी जाति, रंग, धर्म, या निर्धनता आदि के कारण, उसकी रुचि और स्वाभाविक योग्यता के अनुसार उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने से वर्चित न किया जाना चाहिये।

९—माध्यमिक श्रेणियों तक, किसी विद्यार्थी पर जुरमाना न होना चाहिये। इस दंड का भार प्रायः उसके माता पिता या संरक्षकों पर पड़ता है!

१०—विद्यार्थियों को अपनी विविध शक्तियों के विकास का समुचित अवसर मिलना चाहिये ।

११—उन्हें बालचर या स्काउटिंग की भी शिक्षा मिलनी चाहिये, तथा उनमें सेवा और स्वदेशभिमान का भाव जागृत किया जाना चाहिये ।

१२—शिक्षा संस्थाओं को चाहिये कि अपने यहां से पेसे विद्यार्थी निकालें जो व्यवहारिक ज्ञान से शून्य न हों, जो जीवन संग्राम में सुगमता से यथेष्ट भाग ले सकें, और अपने अन्य नागरिक बन्धुओं की जीवन यात्रा को भी कुछ न कुछ सुगम बनाने में सहायक हो सकें, और, जो घर में और बाहर सर्वेत्र अपने उत्तरदायित्व को जानते हुए अपने कर्तव्य का सम्यक पालन कर सकें ।

१३—छोटे विद्यार्थियों को अपने अध्यापकों के आदेशानुसार मन लगाकर अपना पढ़ाई लिखाई का कार्य करना चाहिये और सफाई आदि स्वास्थ सम्बन्धी नियमों का पालन करना चाहिये । बड़े विद्यार्थियों को शारिरिक, मानसिक, नैतिक तथा सदाचार सम्बन्धी अधिक से अधिक योग्यता प्राप्त करने और उन्नत होने का यत्न करना चाहिये । उन्हें आत्माभिमान (अहंकार नहीं), और देशभिमान का ख्याल रखते हुए अपने सहपाठियों में उत्तम वातावरण उत्पन्न करना चाहिये ।

# खोलहवाँ परिच्छेद दलित जातियों के आदमी

“ छोटा काम वह है, जिसमें सत्यता और धर्म का हास हो । ”

\* \* \*

प्रश्न जीवन के हमें भाते रहें ।  
भाइयों को तत्व समझाते रहें ॥  
दुःखियों को ये भुजायें त्राण दें ।  
देश के उद्येश्य पथ पर ध्यान दें ॥

— भारतीय आत्मा

हम पहले कह आये हैं कि नागरिकों को परस्पर में प्रेम-पूर्वक रहना चाहिये; नीच ऊंच की वृथा भावना को दूर कर समानता, सहानुभूति, और सहयोग के भावों का प्रचार करना चाहिये। भारतवर्ष में यह बात विशेषतया दलित या पीड़ित जातियों के आदमियों के सम्बन्ध में स्मरण रखी जाने की आवश्यकता है। यहाँ भंगी, चमार, जुलाहे, धोधी, नाई आदि के कार्य करने वालों से अनुचित व्यवहार किया जाता है। बहुत से आदमी ‘अद्वृत’ समझे जाते हैं। परिस्थिति में क्रमशः सुधार होरहा है, पर अभी बहुत कार्य होना शेष है।

**विचारणीय बातें—**—इनके सम्बन्ध में निम्न लिखित बातें ध्यान में रखने योग्य हैं :—

१—हमें इस भावना का प्रचार करना चाहिये, कि किसी भी प्रकार के उपयोगी श्रम का तिरस्कार नहीं होना चाहिये। प्रत्येक नागरिक, जो समाज के लिए कुछ आवश्यक कार्य कर रहा है, सबके प्रेम, सहानुभूति तथा आदर का अधिकारी है; उससे घृणा करना अन्याय है।

२—कोई मनुष्य अपने जन्म के कारण नीच या पापी नहीं समझा जाना चाहिये। प्रत्येक आदमी किसी खास दशा में, और कुछ समय के लिये अपवित्र, परं अद्वृत हो सकता है। परन्तु कोई व्यक्ति जन्मभर के लिये, पीढ़ी दर पीढ़ी के लिये, अपवित्र या अद्वृत नहीं माना जाना चाहिये।

३—प्रत्येक आदमी को सार्वजनिक कुओं पर पानी भरने,\* आम सड़कों पर चलने फिरने, सार्वजनिक स्कूलों में शिक्षा पाने, सार्वजनिक मंदिरों में भगवद्वर्णन करने, और धार्मिक साहित्य आदि पढ़ने सुनने का अधिकार होना चाहिये। जो कोई उसके उक्त अधिकार में वाधा उपस्थित करे वह दोषी तथा दंडनीय समझा जाना चाहिये।

\* सार्वजनिक कुओं पर पानी भरने के अधिकार की बात समानता की दृष्टि से कही गयी है। स्वास्थ के विचार से तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि प्रत्येक कुएं पर पानी भरने का एक विशेष पात्र रहे, जो बहुत साक शुद्ध हो; हर एक आदमी उसी से अपने पात्र में पानी ले।

४—प्रत्येक मनुष्य अपनी इच्छा और योग्यता के अनुसार अपनी आजीविका के लिए चाहे जो काम कर सकता है, और निर्धारित नियमों का पालन करता हुआ एक काम को छोड़कर दूसरा आरम्भ कर सकता है। जब तक कि दूसरों के न्याय्य अधिकारों में हस्तक्षेप न हो, वह किसी खास काम को करने के लिये वाध्य नहीं किया जाना चाहिये।

५—दलित श्रेणियों के जो आदमी नगर या ग्राम की सफाई या स्वास्थ्य आदि की वृद्धि में विशेष योग देते हैं उन्हें सुख से जीवन व्यतीत करने तथा इसके लिये यथेष्ट मान तथा वैतनं पाने का विशेष अधिकार होना चाहिये।

६—निर्धन व्यक्तियों की शिक्षा और स्वास्थ्य की वृद्धि के लिए समाज की ओर से विशेष आयोजन किया जाना चाहिये।

७—दलित जातियों के आदमियों को अपने अधिकार पाने का निरंतर उद्योग करना चाहिये, परन्तु यह स्मरण रखना चाहिये कि समाज का वातावरण धीरे धीरे ही बदला करता है उसे बल पूर्वक बदलने का यत्न करना उचित नहीं। समय समय पर मिलने वाली वाधाओं या विफलताओं से निराश न होना चाहिये। साथ ही, उन्हें अपनी सफाई और स्वास्थ्य आदि की ओर समुचित ध्यान देते रहना चाहिये।

# सत्तरहृकां परिच्छेद

## पूंजीपति और जर्मिंदार

---

मेरा काम उन वातों को कह देना है जिनके न्यायोचित और मनुष्योचित होने का मुझे विश्वास है; इससे किसे प्रसन्नता होती है, और किसे दुख होता है, इसकी मुझे चिन्ता नहीं।

— रोम्या रोला-

इस परिच्छेद में हम उन व्यक्ति-समूहों के सम्बन्ध में विचार करेंगे जिनकी बहुत से आदमी समाज में उपयोगिता और आवश्यकता नहीं मानते; परन्तु जो भारतवर्ष में तथा संसार के और भी बहुत से देशों में, बहुत कुछ एक एक श्रेणी के रूप में, विद्यमान है। क्योंकि ये लोग अपने महान उत्तरदायित्व और कर्तव्य को भूल रहे हैं, अतः जितनी आवश्यकता इन्हें राज्य की ओर से कुछ सुविधायें मिलने की है, उतनी ही, और सम्भवतः उससे भी अधिक, इस बात को ध्यान में रखे जाने की है कि इनके द्वारा समाज का कोई अहित न हो। इनके मुख्य दो भेद हैं, (क) पूंजीपति, और (ख) जर्मिंदार। इनके सम्बन्ध में हम क्रमशः विचार करते हैं।

### ( क ) पूँजीपति

१—समाज हित तथा देश हित का ध्यान रखते हुए तथा किसी व्यक्ति या व्यक्ति-समूह का अहित न करते हुए, यदि कोई आदमी अधिक परिश्रम, या बुद्धि से धन एकत्र करता है तो उसे उसकी रक्षा तथा वृद्धि का अधिकार है। इसमें किसी को वाधक न होना चाहिये ।

२—पूँजीपतियों को देशोपयोगी कार्यों में धन व्यय करने के लिये विविध प्रकार से प्रोत्साहन और परामर्श मिलना चाहिये ।

३—पूँजीपति अपने व्यक्तिगत ऐश्वर्य या स्वार्थ-साधन के लिये जो कार्य करें, या साधन जुटावें, उनका समुचित नियंत्रण रहे, और उनपर उपयुक्त कर आदि लगाये जाय ।

४—पूँजीपतियों को सदैव यह ध्यान रखना चाहिये कि उनकी पूँजी द्वारा जो उत्पादन कार्य हो, उसका ढंग किसी दशा में भी श्रमजीवियों के लिए अहितकर न हो। विशेष आवश्यकता होने पर, बड़ी मात्रा की उत्पत्ति ( Production on a large scale ) के लिये बड़े बड़े कल कारखाने चलाये जा सकते हैं, परन्तु उनमें काम करने वाले श्रमजीवियों के स्वास्थ, सदाचार तथा अन्य हितों की समुचित रक्षा होती रहनी चाहिये ।

५—पूँजीपतियों को चाहिये कि आसक्ति छोड़कर, त्याग के भाव रखते हुए, सम्पत्ति का उपभोग करें। वे स्मरण रखें कि उनकी पूँजी का अधिकांश प्रत्यक्ष या गौण रूप में श्रमजीवियों के परिश्रम का फल है; अतः उन्हें सदैव उनके तथा सर्व साधारण के हितों और स्वार्थों का ध्येष्ठ ध्यान रखना चाहिये।

६—बहुधा पूँजीपति अपने धन से, या कारखानों में, बनने वाली चीज़ों की उपयोगिता या गुणों पर ध्यान न देकर, केवल यह लक्ष्य रखते हैं कि वे चीज़ें विकने वाली हों, और उनसे उन्हें सूब नफा मिल सकें; यह प्रवृत्ति बहुत अनिष्टकारी है। उन्हें फैशन या विलासित की वस्तुओं की वृद्धि न कर, उन चीज़ों को बनवाने में अपनी आर्थिक शक्ति का उपयोग करना चाहिये जो सर्वसाधारण के लिये जीवनरक्षक या निपुणतादायक हों।

### (ख) ज़मींदार

इन ज़मींदारों का, किसानों से लगान आदि लेना अनुचित समझते हैं। जो ज़मींदार स्वयं परिश्रम करके अपनी ज़मीन को जोते बोवें; वे किसानों की तरह ज़मीन की सब आय के अधिकारी हैं,\* जो ऐसा न कर के अपनी भूमि दूसरों

\* किसानों के सम्बन्ध में पहले लिखा जा चुका है।

को काश्त के लिये देते हैं; वे उनसे उसका किराया मात्र, जो बहुत साधारण हो, ले सकते हैं। सरकार भी जर्मांदारों से ( एवं किसानों से ) केवल आय-कर ले सकती है, मालगुजारी नहीं। यह हमारा आदर्श है। वर्तमान परिस्थिति में बातें विचारणीय हैं :—

१—किसानों के पूर्वोल्हित अधिकारों की स्था करते हुए, जर्मांदार अपनी विविध प्रकार से उच्चति करें; उसमें किसी को हस्तक्षेप न करना चाहिये ।

२—जर्मांदारों को देशोपयोगी, विशेषतया कृषि सम्बन्धी विविध कार्यों में आर्थिक तथा अन्य प्रकार से योग देने के लिये यथेष्ट प्रोत्साहन मिलना चाहिये ।

३—साहूकारी, दूकानदारी आदि की तरह जर्मांदारों की आमदनी में से भी, जर्मांदार के नौकरों का वेतन, नम्बरदारी, सरकारी कर्मचारियों की सरबराई या चन्दे आदि का खर्च निकाल कर बाकी बचे हुए खालिस मुनाफे पर ही सरकारी आय ( मालगुजारी ) की दर निश्चित की जानी चाहिये, और उनसे अववाब आदि के कोई विशेष कर न लिये जाने चाहियें ।

४—गांव की पड़ती, गोचर, या अन्य सार्वजनिक

उपयोग की भूमि पर मालगुज़ारी (एवं लगान) न ली जानी चाहिये।

५—ज़र्मिंदारों को अपनी तथा किसानों की रक्षा के लिये बंदूक आदि अद्व उपयुक्त संख्या में मिलने चाहियें।

६—कृषि सम्बन्धी नियम-निर्माण या जांच आदि के लिये ज़र्मिंदारों के यथेष्ट प्रतिनिधि लिये जाने चाहियें।

७—ज़र्मिंदारों को किसानों पर किसी प्रकार की सख्ती या ज़बरदस्ती न करनी चाहिये, उनसे प्रेम-पूर्वक व्यवहार करना चाहिये, और उनकी उन्नति में भरसक भाग लेना चाहिये।

## अठारहवाँ परिच्छेद

### ग्राम और नगर निवासी

“ सच्चा नागरिक वह है जो अपने ग्राम या नगर को उसी, वरन् उससे भी अधिक तीव्रता से प्यार करता है, जिससे वह अपने कुटुम्ब को प्यार करता है। ”

हम पहले कह चुके हैं कि ग्राम निवासी हो या नगर निवासी, देश के सब आदमी नागरिक अधिकारों और कर्तव्यों की दृष्टि से समान होते हैं। उनधी मिन्न मिन्न नागरिक श्रेणियाँ होती हैं, जिनके सम्बन्ध में पहले विचार हो चुका है। ग्राम निवासियों और नगर निवासियों की पृथक् श्रेणियाँ नहीं मानी जाती। तथापि, कुछ बातें ऐसी हैं जिनका इनके समूह से घनिष्ठ सम्बन्ध है। अतः नागरिक जीवन की उन्नति के लिए, इनका उल्लेख स्वतंत्र रूप से होने की आवश्यकता है। इस लिए यहाँ इनका अलग विचार किया जायगा। पहले ग्राम निवासियों का विषय लेते हैं।

#### (क) ग्राम निवासी

यों तो संसार के सभी राज्यों में थोड़ी बहुत जनता

ग्रामों में रहती है, पर भारतवर्ष तो ग्रामों का ही देश है। यहाँ उनकी संख्या लगभग सात लाख है। भारतवर्ष की कुल जनता में से ९० फ़ीसदी अर्थात् २८ करोड़ से अधिक आदमी ग्रामों में रहते हैं। इससे स्पष्ट है कि भारतीय राष्ट्र के उत्थान में ग्राम निवासियों की उन्नति का प्रश्न कितने महत्व का है। इस सम्बन्ध में तिसःलिङ्गित बातें विचारणीय हैं :—

१—ग्रायः ग्रामों में जो आदमी कुछ शिक्षित या पैसेवाले हो जाते हैं, उनका वहाँ मन नहीं लगता। वे शहरों में आकर रहते हैं, और अपनी रुचि और शौकीनी के साधनों का उपभोग करते हैं। इससे ग्रामों में मस्तिष्क और धन दोनों का दिवाला निकला रहता है। सुधारकों को चाहिये कि दूर बैठे उपदेश दे लेने से ही सन्तुष्ट न हों, बरन देहातों में जाकर, और, वहाँ के आदमियों से हिल मिलकर, रहें; तभी वे उन्हें ऊपर उठाने में सफल होंगे।

२—अधिकतर गांव वाले निर्धन और क्रष्णी होते हैं। उन्हें उनके अवकाश के अनुसार काम बताये जाने चाहिये; तथा उनमें उपयोगी गृह शिल्प, कपास ओटने, सूत कातने, खदार बुनने, शाक भाजी, फल फूल लगाने आदि का प्रबार करना चाहिये। उनमें मितव्ययिता का अभ्यास बढ़ाना चाहिये। उनमें विक्रिध प्रकार की सहकारी समितियों की

स्थापना कर, उनमें सहकारिता के भावों की चृद्धि करनी चाहिये, जिससे वे अन्यान्य बातों में खेती आदि धनोत्पादक कार्यों के लिये यथेष्ट साधनों को प्राप्त कर, समुचित उन्नति कर सकें।

३—अधिकतर ग्रामों में अविद्याधकार छाया रहता है। इसे दूर करने के लिये साधारण पाठशालाओं के अतिरिक्त रात्रि-पाठशालाओं, तथा कृषकों के उपयोगी अन्य विशेष प्रकार की पाठशालाओं की आवश्यकता है। गांव बालों को कुछ नागरिकता तथा कानून आदि विषयों की भी शिक्षा मिलनी चाहिये।

४—प्रायः देहातों में गंदगी बहुत रहती है। कुछ बातों में तो उनके निवासी, अपनी निर्धनता के कारण यथेष्ट स्वच्छता नहीं रखते। परन्तु बहुतसी बातें ऐसी भी हैं, जिनके लिये विशेष धन की आवश्यकता नहीं, लोगों की आदतें और स्वभाव सुधरने से यथेष्ट सुधार हो सकता है। इसका यत्न किया जाना चाहिये।

५—अधिकांश देहातों में बीमारियों का बहुत प्रकोप रहता है। उनके लिये समुचित सस्ती औषधियों आदि का प्रबन्ध होना चाहिये।

६—पशुओं की चिकित्सा के लिये निकटवर्ती स्थानों में

पशु-चिकित्सालय होने आवश्यक हैं। पशुओं की नस्ल सुधारने की ओर भी समुचित ध्यान होना चाहिये।

७—लोगों में मुकद्दमेवाज़ी का बड़ा व्यसन लगा होता है। बात बात पर मुकद्दमा चलता है और धन-नाश होता है। अतः उन्हें समय समय पर आपस में प्रीति-पूर्वक रहने तथा पारस्परिक झगड़ों का स्वयं ही, पंचायत द्वारा, निपटारा करने का परामर्श दिया जाना बहुत उपयोगी है।

८—बहुत से स्थानों में, एक गांव से दूसरे गांव तक जाने के लिये, सड़कों का अभाव है। प्राकृतिक ऊंचे नीचे, टेढ़े मेढ़े, पथरीले, रेतीले, कंकरीले या ढलढल वाले रास्ते हैं। इससे लोगों को आने जाने तथा व्यापार करने में बड़ी कठिनाई होती है, तथा समय और शक्ति का अपव्यय होता है। जिला-बोर्ड तथा पंचायतों द्वारा रास्ते ठीक बनवाये जाने चाहियें।

९—लोगों में विवाह शादी, जन्म मरण आदि के सम्बन्ध में बहुत सी सामाजिक कुरीतियां प्रचलित होती हैं। सुधारकों को अपना जीवन तथा व्यवहार आदर्श बनाकर, दूसरों के लिये शिक्षा-प्रद उदाहरण उपस्थित करने चाहियें।

१०—अनेकशः जमीदारों और किसानों में पारस्परिक सम्बन्ध संतोषप्रद नहीं होता। इन दोनों में से प्रत्येक को

समझना चाहिये कि दूसरे के हित में अपना भी कल्याण है। इस प्रकार इन्हें एक दूसरे का सहायक और शुभचिन्तक बनना चाहिये।

११— बहुत से किसानों के पास खेती के लिये भूमि के टुकड़े पृथक् पृथक् और दूर दूर के स्थानों में होते हैं। उनमें खेती करने से बहुतसा समय और धन व्यर्थ जाता है। आवश्यकता है कि वे चक-बन्दी के लाभ समझें, और सब किसान आपस में मिलकर ऐसी व्यवस्था करलें जिससे हर एक किसान की भूमि यथा सम्भव एक जगह होजाय, और काम सुगमता-पूर्वक हो सके।

१२—अनेक देहातों में रेल और तार आदि की तो बात दूर रही, डाकखाने तक नहीं होते। लोगों को अखबार या समाचार पत्र आदि तो क्या, अपनी चिठ्ठियां भी रोज़ नहीं मिल सकतीं, कई कई दिन बाद मिलती हैं। डाक विभाग की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि प्रत्येक गांव की डाक उसी दिन बटजाया करे।

१३—प्रत्येक ग्राम में एक पुस्तकालय तथा वाचनालय की स्थापना की जानी चाहिये, जिससे उसके निवासी बाहरी संसार की बातों के ज्ञान में बहुत पिछड़े न रहें। मंत्रिराज्य या पंचायती स्थानों में इसकी सहज ही व्यवस्था

हो सकती है। यदि उन में प्रति दिन नहीं, तो प्रति सप्ताह रामायण महाभारत आदि की कथायें कहीं जाया करें; और, कभी कभी मैजिक लालटेन द्वारा, या वैसे ही, उपयोगी विषयों के व्याख्यान दिये जाया करें, तो बहुत उत्तम हों।

१४—कृषि-प्रधान भारतवर्ष में पशुओं की रक्षा की अत्यन्त आवश्यकता है, इसके लिये स्थान स्थान पर पशु-शाला, डेयरी फार्म, आदि की व्यवस्था होनी चाहिये। आज कल पशु-रक्षा में एक बड़ी वाधा यथेष्ट चरागाहों की कमी है, इस लिये प्रत्येक ग्राम (तथा नगर) में उस की आवश्यकता के अनुसार, सार्वजनिक उपयोग के लिये गोचर भूमि छोड़ी जानी चाहिये।

### (ख) नगर निवासी

अब हम नगर निवासियों के सम्बन्ध में विचार करते हैं। आधुनिक सभ्यता में नगरों की सीमा, तथा संख्या बढ़ती ही जा रही है; ग्रामों का भयंकर ह्रास हो रहा है। पिछली मनुष्य गणना के अनुसार भारतवर्ष में नगरों की संख्या २३१६ और उनके निवासी सवा तीन करोड़ के लगभग हैं। अस्तु, नगर-निवासियों के सम्बन्ध में निम्न लिखित बातें विचारणीय हैं:—

१—नगरों में अविद्या, अस्वच्छता, रोग, तथा अपव्यय आदि

की बहुत सी समस्यायें वे ही हैं, जो ग्रामों में हैं; केवल उनका स्वरूप या मात्रा कुछ बदल गयी है। नगर निवासियों को अपने अपने स्थान की परिस्थिति के अनुसार इन्हें हल करना चाहिये। नगरों में धन और मस्तिष्क का वैसा अभाव नहीं होता, जैसा ग्रामों में होता है। अतः यदि इन के निवासी समुचित ध्यान दें तो उन्हें, सुधार करने में, ग्राम निवासियों की अपेक्षा कम असुविधायें होंगी।

२—बहुत से नगरों में म्युनिसिपैलिटियां हैं। जहां न हों वहां स्थापित की जानी चाहियें; और, जहां इनके अधिकार कम हैं, वहां वे बढ़ाये जाने चाहियें। म्युनिसिपैलिटियों के द्वारा, नगरों की जनता का बड़ा हित साधन हो सकता है।

३—नगरों में शुद्ध धी दूध आदि खाद्य पदार्थों का मिलना अधिकाधिक कठिन होता जा रहा है। इससे, विशेषतया गौ के दूध की कमी के कारण, बालकों की मृत्यु बढ़ती जा रही है, लोगों की शारीरिक शक्ति क्षीण होती जा रही है, और, उनकी आयु का परिमाण घटता जा रहा है। नागरिकों को चाहिये कि इस विषय में गौ रक्षा, सहकारी समितियां, सहकारी भंडार ( स्टोर ) आदि द्वारा यथेष्ट सुधार करने का प्रयत्न करें।

४—नगरों में बेकारों की संख्या बहुत बढ़ती जारही है।

किन किन उद्योग धन्वों की किस किस प्रकार उच्चति की जा सकती है, तथा क्या क्या ऐसे नये कार्य आरम्भ किये जा सकते हैं, जिन से बेकारों को यथेष्ट काम मिले; यह प्रत्येक नगर की परिस्थिति के अनुसार विचारणीय है।

५-नगरों में मज़दूरों की हालत बहुत शोचनीय है। उन में, पान, बीड़ी सिगरेट, इतर फुलेल, तथा मद्य-पान आदि के व्यसन बुरी तरह बढ़ रहे हैं। अधिकतर मज़दूरों की आय बहुत कम होती है, और ये अपने लिये आवश्यक पौष्टिक पदार्थों के सेवन में कमी करके भी बाज़ारों में बत्ठन कर निकलते के इच्छुक रहते हैं। इनके सुधार का बीड़ा उठाने वाले कुछ कर्मयोगी पुरुषों की, प्रत्येक नगर में आवश्यकता है।

६-नगरों में, ग्राम निवासियों के आने की प्रवृत्ति ने, इन की जन संख्या अस्वाभाविक रूप से बढ़ादी है, रहने के स्थान की कमी होती जारही है, मकानों का किराया बेहद बढ़ गया और बढ़ता ही जा रहा है। इससे गरीब लोगों पर बढ़ा संकट रहता है। उनके केवल स्वास्थ का ही हास नहीं हो रहा है, आचार विचार भी बहुत विगड़ता जा रहा है। कुछ नगरों में तो म्युनिसिपैलिटियां या इम्प्रेवमेंट ट्रॉस्ट (नगरोन्नतकारिणी समायें) इस ओर ध्यान देने लगी हैं।

परन्तु समस्या सहज ही हल होती नहीं दिखायी देती; नागरिकों को अधिकाधिक विचार करने की आवश्यकता है।

७-स्थान स्थान पर ऐसे उद्यानों, पार्कों ( Parks ), या बाटिकाओं की बड़ी आवश्यकता है, जहां नागरिक प्रातः और सायं काल टहलकर या बैठकर प्राकृतिक वृश्यों से अपने मन को प्रफुल्लित करने का अवसर पा सकें। इसके अतिरिक्त खेल कूद आदि के लिये अखाड़ों, व्यायाम-शालाओं, आदि की व्यवस्था होनी चाहिये। इन कामों में म्युनिसिपैलिटियों से समुचित सहायता ली जाय।

८-अनेक नगरों में पीने या स्नान करने, कपड़े धोने आदि के लिये पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। नागरिकों को चाहिये कि पानी के नल लगवाने या तालाब आदि बनवाने के लिये म्युनिसिपैलिटी को आवश्यक सहायता दें।

९-कुछ नगरों में गन्दे पानी के बहाव के लिये नालियों की ठीक व्यवस्था नहीं है। यदि पानी बस्ती में से जैसे-तैसे बह भी जाता है तो बाहर जहां तहां गँड़ों में भर जाता है और सड़ा करता है। इससे नागरिकों को विविध बीमारियों का, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, शिकार होना पड़ता है। इसका समुचित उपाय होना चाहिये।

११—प्रत्येक नगर में प्रति वर्ष जातीय त्यौहारों या अन्य अवसरों पर कुछ सार्वजनिक उपयोगिता के कार्यों के समाह मनाये जाने चाहियें, जिनमें उस नगर के तथा उसके आस पास के गाँवों के निवासी समुचित भाग लें। उदाहरणार्थ उनमें कृषि और पशु प्रदर्शनी, औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रदर्शनी, शिशु तथा स्वास्थ्य प्रदर्शनी आदि की व्यवस्था की जाय। इन विषयों पर व्याख्यानों या मेजिक लालटेन के उपदेशों का भी प्रबन्ध होना चाहिये। विविध प्रकार के खेल, कसरत, दौड़, आदि के लिये कुछ पारितोषिक नियत किये जाकर, सर्व साधारण में इनके लिये दिलचस्पी पैदा की जानी चाहिये।

# उन्नीसवां परिच्छेद

## भारतीय नरेश

“ जहाँ तक होसके, तु किसी का दिल मत दुखा । यदि तु ऐसा करता है, तो तु अपनी जड़ को उखेड़ता है । ” — सादी

इस पुस्तक के पिछले परिच्छेदों में भारतवर्ष की विविध वागरिक श्रेणियाँ और समूहों का विचार किया जा चुका है । परन्तु इस देश की विशेष परिस्थिति से, ऐतिहासिक और राजनैतिक कारणों से, यहाँ नरेशों का ऐसा स्थान है कि ये पूर्वोक्त किसी श्रेणी या समूह में नहीं आते । और, देश के नागरिक जीवन में इनका महत्व भी बहुत है । अतः इनका पृथक् विचार किया जाना चाहिये । इस समय भारतवर्ष में छोटी बड़ी सब रियासतों की संख्या साढ़े पाँच सौ से अधिक है । परन्तु इनमें से बहुत सी तो साधारण गांव सरीखी हैं; जिन्हें वास्तव में रियासत कहा जाना चाहिये उनकी संख्या दो सौ से भी कम है ।\* विशेषतया इन्हीं को

\* जो राज्य धाय, क्षेत्रपल या जन संरूप्या के विचार से बहुत छोटे हैं, तथा जो अपने यहाँ शिक्षा, स्वास्थ और न्याय की व्यवस्था नहीं कर सकते, उन्हें अपने निकटवर्ती राज्य या प्रान्त में मिल जाना चाहिये ।

लक्ष्य में रखकर हम नरेशों के अधिकारों और कर्तव्यों का उल्लेख करेंगे; पहिले अधिकारों की बात लेते हैं।

### (क) नरेशों के अधिकार

वर्तमान परिस्थिति में, साधारणतया नरेशों के अधिकार निम्न लिखित होने चाहियें :—

१—प्रत्येक देशों राज्य में, उसकी प्रजा की योग्यता के अनुसार, अधिकतम उत्तरदायित्व-पूर्ण शासन-पद्धति प्रचलित होना आवश्यक है। ऐसा होने पर, प्रत्येक राज्य में उसके नरेश के बैसे अधिकार होने चाहियें, जैसे ब्रिटिश शासन-विधान में इंगलैंड-नरेश के हैं।

२—भारतीय नरेश, अपने राज्य के ट्रस्टी या संरक्षक भावं हैं। अपनी प्रजा की सुविधा और सम्पत्ति के अनुसार, उन्हें प्रतिवर्ष राज्य-कोष से ऐसी निश्चित रकम मिलनी चाहिये जिससे वे तथा उनका परिवार, साधारणतः सुख-पूर्वक जीवन ध्यतीत कर सकें। आमोद-प्रमोद, विदेशों में सैर, बहु-विवाह तथा भोग-विलास सम्बन्धी विविध अपव्यय, या विदेशी अधिकारियों के स्वागत आदि में प्रजा का अधिकारित धन खर्च करने का उन्हें अधिकार नहीं होना चाहिये।

३—भारतीय नरेशों को पूर्ण अधिकार होना चाहिये कि अपने कौटुम्बिक कार्य, प्रजा-हित को लक्ष्य में रखकर, अपनी इच्छानुसार करें; एवं अपने लड़के-लड़कियों की शिक्षा, अपनी पसन्द की संस्था में, अथवा अपने मकान पर ही प्राइवेट टचूटर—गृह-शिक्षक—द्वारा करा सकें। इसी प्रकार, उनकी शादी-विवाह भी वे जिस परिवार में, जिन व्यक्तियों से, उचित समझें, करें। इसमें किसी अधिकारी का कुछ हस्तक्षेप करना, सर्वथा अनुचित है।

४—भारतीय नरेशों को, सधि-सनद तथा पुरानी प्रथाओं द्वारा प्राप्त अपने अधिकार, मान-मर्यादा, तथा अन्य स्वत्वों की रक्षा करने और कराने का अधिकार रहे, परन्तु शर्त यह होनी चाहिये कि वह अधिकार आदि ऐसा न हो जो प्रजा की भावी उन्नति में बाधक हो, या उसकी इच्छा के विरुद्ध शासन-पद्धति प्रचलित करने में सहायक हो।

५—यदि किसी देशी राज्य में रेल, तार, डाक आदि का प्रबन्ध करना हो, तो भारत सरकार उसके नरेश तथा उसकी प्रजा की सम्मति तथा अनुमति ले; और, इन चीजों से होने वाली आय का एक निर्धारित भाग उसे दे।

६—यदि कोई नरेश अयोग्य हो अथवा उसका आचरण ठीक न हो, तो उसके सम्बन्ध में विचार, अथवा आवश्यकता

होने पर, उसे गद्दी से उतारने का अधिकार ऐसे सुयोग्य और निष्पक्ष कर्मीशन को होना चाहिये, जिसके सदस्यों का मार्व और पद, उक्त नरेश के समान हो । किसी नरेश का भाग्य, (और उसके साथ उसकी प्रजा का भी भाग्य) निर्णय करने का अधिकार पोलिटिकल एजेन्टों आदि की रिपोर्टों के आधार पर कार्य करने वाले भारत-सरकार के किसी अधिकारी को, या नरेन्द्र-मण्डल को (जैसा कि वह इस समय सङ्गठित है), अथवा वाइसराय को, नहीं होना चाहिये ।

७—किसी नरेश की नाबालगी के दिनों में उसके राज्य के तमाम मामले पूर्व प्रचलित सिद्धान्तों पर चलाये जायं; विशेष आवश्यकता के बिना किसी को नयी जागीर, इनाम या उपाधि आदि न दी जाय । प्रत्येक विषय में राज्य (प्रजा) की उन्नति का ध्यान रखा जाय ।

८—नाबालिग नरेश की समुचित शिक्षा के लिये ऐसा प्रबन्ध होना चाहिये कि वह यथा सम्भव अपने राज्य में ही, सुयोग्य, सदाचारी, और राज्य के पुराने हितैषी विरीक्षकों और अध्यापकों की संस्कृता में रहे ।

९—प्रत्येक नरेश को, अपने राज्य की उन्नति के लिये, अन्य भारतीय नरेशों, उनके दीवानादि पदाधिकारियों, तथा अन्य सुयोग्य देशी तथा विदेशी व्यक्तियों से, व्यक्तिशः या

सामुहिक रूप में मिलने का, एवं उनकी कोई सभा या संस्था सम्गठित करने का, अधिकार होना चाहिये ।

१०—यदि कोई भारतीय नरेश किसी विदेशी द्वी से विवाह करे, तो उस द्वी से होने वाली संतान को, राजगद्दी का उत्तराधिकारी होने का, अथवा निर्धारित योग्यता के के बिना कोई पद पाने का अधिकार नहीं होना चाहिये ।

११—जो नरेश, अपने राज्य की रक्षा के लिये पर्याप्त सेना रखें, उन्हें, सेना की मद्देमें, भारत सरकार को कुछ (वार्षिक) कर आदि देने के लिये वाध्य नहीं किया जाना चाहिये ।

१२—भारतीय नरेशों को अपने राज्य में आने-जाने वाले माल पर समुचित कर लगाने को अधिकार होना चाहिये । यदि यह कर, भारत-सरकार वसूल करे तो नरेशों को उस से होने वाली आय का यथेष्ट अंश मिले ।

१३—भारतीय नरेशों को, अपने बन्दरगाहों की उन्नति तथा वृद्धि करने, एवं उनसे लाभ उठाने का पूर्ण अधिकार होना चाहिये ।

१४—भारतीय नरेशों को, अपनी प्रजा तथा मानव जाति के हित का ध्यान रखते हुये ही, अपने राज्य में अफीम, नमक आदि विविध पदार्थ उत्पन्न करने ( तथा उन्हें यथोचित मूल्य पर बेचने ) का अधिकार होना चाहिये ।

१५—भारतीय नरेशों को, अपने प्रकृत अधिकार और बल बढ़ाने के लिये, अपनी प्रजा को प्रतिनिधि—मूलक सुशासन द्वारा शासित करने, तथा उसकी शिक्षा और उद्योग धन्धों की वृद्धि करने का पूर्ण अधिकार होना चाहिये।

१६—भारतीय नरेशों को, अपने राज्यों के जागीरदारों और माफीदारों की जागीरों की सम्यक-रूप से रक्षा करने का पूर्ण अधिकार होना चाहिये (यह उनका कर्तव्य भी है)।

### नरेशों के कर्तव्य

भारतीय नरेशों के मुख्य कर्तव्य निम्न लिखित हैं:—

१—प्रत्येक नरेश को अपने राज्य में उत्तरदायी शासन प्रबलित करना चाहिये; जब तक ऐसा न हो उस समय तक के लिए उसे ये सिद्धान्त तो अवश्य निर्धारित कर देने चाहियें \* :—

(क) राज्य की आय और नरेश की निजी सम्पत्ति में स्पष्ट भेद करके नरेश के खर्च के लिये निश्चित रकम दीजाय, और राज्य की शेष आय सार्वजनिक कार्यों में व्यय की जाय।

\* ये सिद्धान्त देशी राज्यों की सुरक्षा और स्थिरता के लिए आवश्यक और उपयोगी हैं।

(ख) कानून, अधिकार, और रिवाज की पाबन्दी के सम्बन्ध में नियम बनाने का काम त्यागशील सुयोग्य व्यवस्थापक किया करें।

(ग) दीवानी और फौजदारी सुकहड़मों के फैसलों के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायालय हों।

(घ) कर सुनिश्चित नियमों के अनुसार वसूल किये जाय। प्रजा से किसी अनियमित प्रकार से धन प्राप्त न किया जाय, और न किसी से बेगार ली जाय।

२-लगान निश्चित नियमों के अनुसार लगाया और वसूल किया जाय। जमीन सम्बन्धी अधिकार निश्चित कर दिया जाय, उसकी रक्षा की जाय, और नया भू-कर कानून के अनुसार ही लगाया जाय।

३-सन्तान-हीन होने की दशा को छोड़ कर साधारण-तया किसी नरेश को दूसरा विवाह न करना चाहिये।

४-नरेशों को अपनी भाषा भेष और भाव के उदाहरण से जनता में राष्ट्रीयता और देश प्रेम के विचारों की वृद्धि करते रहना चाहिये।

५-प्रत्येक नरेश को स्वयं शिक्षित, सुयोग्य, सदाचारी, और वीर होना चाहिये, तथा, अपनी संतान को भी ऐसा

हीं बनाने का यत्न करनी चाहिये। राजकुमारों की शिक्षा में अर्थ साख, राजनीति, कानून, और अन्तर्राष्ट्रीय नीति को यथेष्ट स्थान मिलना चाहिये।

६—प्रत्येक नरेश की यथा—सम्भव देश हित के कार्यों में भाग लेना चाहिये; और अपने राज्य के लिए यह आदर्श रखना चाहिये कि वह भारतवर्ष के भावी संयुक्त राज्य ( Federal Government ) में एक मित्र और सहयोगी की भाँति रहे।

# फ्रारिमानिक शब्द

---

अ

अदालत	Court
अवाध व्यापार	Free Trade
अधिकार	Right. Authority
„ जन्म सिद्ध—	Birth-right
„—विभाजन	Decentralisation
„—सीमा	Jurisdiction
अधिकारी	Official
अनियन्त्रित	Absolute
अनिवार्य	Compulsory
„—सैनिक सेवा	Conscription
अनुदार	Conservative
अनुशासन	Discipline
अन्तराष्ट्रीय	International
अभियुक्त	Accused
अराजक	Anarchist
अल्प मत	Minority
अल्प व्यस्क	Minor

असहयोग Non-co-operation.

सचिनय अवज्ञा Civil Disobedience

अवैध Unconstitutional

अस्त्र विधान Arms act

अहिंसात्मक Non-violent  
आ

आदेश-युक्त Mandatory

आन्दोलन Movement

„ वैध—Constitutional-

आबकारी Excise

आबपाशी Irrigation

आय व्यय अनुमान पत्र  
Budget, Budget-estimate

आयात Imports.

आयात निर्यात कर Customs

इ

इन्तिलानामा Summon.

इंगलैंड की सरकार Home Govt.

इंगलैंड में होने वाला खर्च (भारत का) Home Charges.	कानून Law. Act.
उत्तरदायी Responsible.	,, अस्थायी—Ordinance
उदार Liberal	,,—विज्ञान Jurisprudence
उपनियम Bye-law. Regulation.	कांजी हौज Kine house.
उपनिवेश Colony.	काश्तकार Land holder.
„ राजकीय—Crown-	Tenant.
उपसभापति Vice-chairman	,, शिकमी—Sub-tenant
Vice-president.	काश्तकारी Tenancy
उम्मेदवार Candidate	कुलीन राज्य Aristocracy
उम्मेदवारी का प्रस्तावपत्र Nomination paper	कूटनीतिक Diplomatic
क क	केन्द्रीकरण Centralisation
कर Tax. Duty. Rate	केन्द्रीय Central
,,—उठा देना Abolish a—	कौसिल युक्त गवर्नर Governor-in-Council
,,—दरिद्र रक्षा—Poor rate	क्रान्ति Revolution
,,—दाता Rate payer.	ख Expenditure
,,—मनुष्य पर— Poll tax.	Expense
,,—बसूल करने का खर्च Direct demands	खिराज Tribute
on revenue	खुफिया विभाग C. I. D.
,,—हैसियत—Tax on circumstances and property.	( Criminal Investigation Dept. )
	ग
गृदर	Mutiny
गृह-कर	House-Tax
गृह-युद्ध	Civil war

गृह-सचिव	Home Member	दलबन्दी नीति	Party-politics.
गुप्त सभा	Privy Council	दलित श्रेणियाँ	Depressed Classes.
गुलामी	Slavery	इस्तावेज़	Document
गैर-सरकारी	Non-offical	दागियों का रजिस्टर	Register of bad characters
आम्य क्षेत्र	Rural area	दाय साग	Inheritance
	व	दासत्व ( दासता )	Slavery
चुंगी	Octroy	„—से मुक्ति	Emancipation
चुनाव	Election	दीवानी	Civil
	ज	„—कार्य विधान	Civil Procedure Code
जन्म भूमि	Motherland	देश	Country
जमीदार	Land-lord	„—निकाला	Transportation
जल सेना	Navy	„—भक्त	Patriot
जल सेना विभाग	Admiralty	„—रक्षा	National defence
जाति	People. Race.	देशी माल पर कर	Excise
जातिगत	Communal	देशीयकरण	Naturalisation
जात्ता दीवानी	Civil Procedure Code	देशी रियासतें	Native states
ज़िम्मेदारी	Responsiblty		
ज़िला	District		
जेल का पहरुआ	Jail warder		
ज़ङ्गी लाट	Commander-in-Chief		
	द		
दमन	Repression.		
दल.	Party		
	:		

दोषी	Convict	निरीक्षण	Inspection.
दोषी ठहराना		नियंत्रण	Observation.
दंड	Penalty, Punishment, Sentence	निर्माण कार्य,(सरकारी)	Supervision
,—कानून	Penal law	नियांत्र	Public works
,, प्राण—Death sentence		निर्वाचक	Export
,—विधान	Penal Code	निर्वाचक	Elector.
द्वैध शासन	Dyarchy	,—समूह	Electorate
,, ,—पद्धति	"	,—संघ	Constituency
न		निर्वाचक सूची	Electoral roll
नगर सम्बन्धी	Civic	निर्वाचन	Election
नज़रबन्दी	Internment	,—अधिकार देना	Enfranchise.
नज़रसानी	Review	,—अधिकार छीन लेना	Disenfranchise.
नज़राना	Tribute	,—अफसर	Returning Officer
नरेद्र मण्डल	Chamber of Princes	,—पत्र	Ballot paper.
नरेश	Ruler. Chief. King	,—पूरक-	Bye-election.
नागरिक	Citizen	नीति	Policy
नागरिक शास्त्र	Civics	नौकरशाही	Bureaucracy.
नामज्जद	Nominated	न्याय	Justice. Equity.
नाविक	Naval	,—कर्त्ता वर्ग	Judiciary.
नियम	Regulation Rule.	न्यायाधीश	Judge.
नियम संग्रह	Code	न्यायालय	Court.
नियंत्रण	Control		

	प	
पट्टा	Lease	
पट्टीदारी	Tenure. Land tenure.	
पद के कारण	Ex-officio.	
पद्धति	System.	
परदेश से आकर रहना		
परदेशी	Immigration. Immigrant.	
	Foreign.	
परिवर्तन विरोधी	Conservative.	
परिषद	Council.	
पच्चा डालना	Ballot.	
पुरातन प्रेमी	Conservative	
पेश करना (मसविदा)		
	Introduction	
पंच	Jury	
पंचायती राज्य	Commonwealth	
प्रजा	Subjects. Ryot	
,,—तन्त्र	Democracy	
,,—वादी	Democrat	
प्रतिनिधि	Representative.	
	Delegate	
,,—पत्र	Proxy	
	:	
	,	
	—सभा ( अंगरेजी )	
	House of Commons	
प्रतिवादी	Defendant	
प्रधान सेनापति	Commander in-chief	
प्रबन्धक अफसर	Executive officer	
प्रबन्ध कारिणी	Executive	
प्रभुता (प्रभुत्व)	Sovereignty	
प्रवास	Emigration	
प्रश्न रोकना	Disallow a question	
प्रस्ताव	Proposal, Resolution	
प्राणदंड,	} Capital punishment.	
फांसी	}	
प्रान्त	Province.	
प्रान्तीय स्वराज्य	Provincial autonomy.	
	क	
फौजदारी	Criminal	
फौजदारी विधान	Criminal Procedure Code.	
फौजी	Military.	
	व	
बदला	Retaliolation	
वरी होना	Discharge.	

बहिष्कार	Boycott.	मातृभूमि	Motherland.
बहुमत	Majority.	नेटिवलैंड	Nativeland
बादशाह	King. Crown.	रिवेन्यू	Revenue
बालिग	Adult.	एलीज	Allies
बेदखली	Ejectment	टाइम-लिमिट	Time-limit
बन्दोवस्त	Settlement	सुकहमा	Case
	भ	सुकदमेवाजी	Litigation
भर्ती, सेना में	Recruitment	सुखिया	Headman
भारत मन्त्री	Secretary of State for India	सुहई	Plaintiff
भारत रक्षा कानून	Defence of India Act	मौरुसी	Hereditary.
भारत सरकार	Govt. of India	मंडल	Chamber, Federation
भारतीयकरण	Indianisation	मन्त्री	Minister
	म	,—दल	Ministry
मजदूर दल	Labour party	,—मंडल	Cabinet
मत देना	Poll. vote.	, प्रधान	—Prime minister
मताधिकार	Franchise.	र	
	Sufferage	रचनात्मक	Constructive
मताभिलाषी स्थियाँ	Suffer-egettes	रद्द करना	Negative, Veto
मह	Head	रक्षा	Defence. Protection
मध्यस्थता	Arbitration	रक्षित विषय	Reserved subject
मसविदा (कानून का)	Bill	राज तन्त्र	Monarchy
महसूल	Cess	, नियम बद्ध —	Limited
महासभा	Congress	(or Constitutional) —	
		राजदूत	Ambassador
		राजद्रोह	Sedition,
		राजनीति	Politics

राज विद्रोह	Rebellion	व्यवस्था	Legislation
राजस्व	Finance	व्यवस्थापक परिषद्	Legislative Council.
राज्य	State		श
,, एकात्मक—	Unitary-	शहीद	Martyr:
,, कुलीन —	Aristocracy	शासक	Administrator.
,,-क्रान्ति	Rebellion		Ruler.
,,-परिषद्	Council of-	शासन	Administration.
,, रक्षित—	Protected State	,,—भाद्रेश	Mandate
,, संयुक्त—	United States. Federal Govt.	,,—व्यवस्था	Constitution
राष्ट्र	Nation		स
,,-संघ	League of Nations	सदर आला	Sub-judge
राष्ट्रीकरण	Nationalisation	सदर मुकाम	Head quarter
रियासत	State.	सदस्य	Member
रिसाला	Cavalry	सनद	Charter. Certificate
	ल	सनदी	Patent
लगान	Rent	सपरिषद् गवर्नर	Gouverner-
लेखन और भाषण	Press &		in-Council
	Platform	सभा,	द्वितीय— Second
	व	सभा,	chamber. Upper House.
वादी	Plaintiff	सभापति	Dissolve
,,प्रतिवादी	Parties		President, Chairman
	( to a suit )	समिति	Association.
वायु सेना	Air force		Committee. Trust
व्यक्ति	Individual. Person	सम्मेलन	Conference,
,,—वाद्	Individualism.	सम्भाट	Emperor

सरकार	Government	संघ	Confederation.
सरकारी	Official. Public	फेडरेशन	Federation. League.
„—मतव्य	—resolution	संघात्मक ( संघीय )	Federal
लरदार सभा ( अगरेजी )	Br. House of Lords	संधि	Treaty
सर्वदल सम्मेलन	Round-table-conference	संरक्षण	Protection.
सर्वोच्च शक्ति	Paramount power	संशोधन	Ammendment.
सहकारिता	Co-operation		Revision.
सहयोग	Co-operation		
साख	Credit		
साम्यवादी	Socialist	स्थगित करना	( अधिवेशन ) Adjourn.
साम्राज्य	Empire	स्थानीय स्वराज्य	Local self Govt.
सिंचाई	Irrigation	स्थायी समिति	Standing committee.
सुधार	Reforms	स्वतन्त्रता,	Liberty.
„—पाठशाला	Reformatory	स्वयं निर्णय	Self-determination.
सचिव	Secretary.		ह
सत्ता	Sovereignty.	हल्का	Circle
सेक्रेटरियों का दफ्तर	Secretariat	हबालात	Lock-up
सेना	Army, Force	हस्तान्तरित विषय	Transferred subject
„ आपत्काल —	Reserve force		क्ष
सैनिक	Military.	झतिपूर्ति	Indemnity
संगठन	Constitution, Organisation.	क्षेत्र, प्रभाव	Sphere of Influence.

राष्ट्रीय विद्यालयों, तथा सरकारी स्कूलों में प्रचलित पाठ्य पुस्तकों, पारितोषिक और पुस्तकालयों के लिये विशेष उपयोगी

## भारतीय ग्रन्थ माला, बृन्दावन।

“प्रत्येक देश—प्रेमी को इस माला की पुस्तकें अपनाकर, इसके व्यवस्थापक को साहित्य की वृद्धि के लिये उत्साहित करना चाहिये”।  
—सैनिक।

It is the duty of every Hindi-knowing citizen to help the author, in the pioneer work that he is doing.

—The Education.

१—भारतीय शासन Indian Administration—  
“राजनैतिक ज्ञान के लिये आइने का काम देने वाली”,  
और “विद्यार्थियों, पत्र—सम्पादकों और पाठकों” के बड़े  
काम की”। छठा संस्करण; मूल्य ॥॥=)

२—भारतीय विद्यार्थी विनोद—भाषा, विज्ञान,  
इतिहास आदि पाठ्य विषयों की आलोचना, और मातृ भाषा  
आदि आठ विचारणीय विषयों की विवेचना। “नये हंग  
की रचना।” दूसरा संस्करण; मूल्य ॥=)

३—भारतीय राष्ट्र निर्माण Indian Nation Building—राष्ट्रीय समस्याओं का “बहुत ही योग्यता और  
स्वतंत्रता से विचार किया गया है।” दूसरा संस्करण।  
मूल्य ॥॥=)

४—भावना—कल्याण—पथ की प्रदर्शिका। गद्य काव्य।

स्फूर्ति का संचार करने वाली । नवयुवकों के लिये विशेष उपयोगी ओजस्वी रचना; मूल्य ॥=)

५-सरल भारतीय शासन—साधारण योग्यता वालों के लिये राजनीति की अत्यन्त आवश्यक पुस्तक । मूल्य ॥)

६-भारतीय जागृति Indian Awakening—गत सौ वर्षों का धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और साहित्यिक आदि इतिहास । मूल्य ॥=)

विश्व वेदना—मानव समाज के भिन्न भिन्न पीड़ित अंग—मजदूर, किसान, लेखक, बच्चे, विधवायें, वैश्याएं कैदी और अनाथ आदि अपनी अपनी वेदना बता रहे हैं। उनकी व्यथा सुनिये । कष्ट पीड़ितों की वेदना के निवारण के विषय में भी विचार किया गया है । मूल्य ॥)

८-भारतीय चिन्तन—राजनैतिक, अन्तराष्ट्रीय, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक आदि विषयों का मनोहर वर्णन । मूल्य ॥=)

९-भारतीय राजस्व Indian Finance—दो सौ करोड़ रुपये के वार्षिक सरकारी आय-च्यव्य का ज्ञान प्राप्त कर आर्थिक स्वराज्य प्राप्त कीजिये । मूल्य ॥=)

१०-निर्वाचन नियम Election Guide—च्यवस्थापक संस्थाओं, म्यूनिसिपैलिटियों और ज़िला बोर्डों के निर्वाचकों और उम्मेदवारों के लिये अत्युपयोगी । मूल्य ॥=)

११-वानव्रह्मचारिणी कुन्ती देवी—एक आधुनिक आदर्श महिला का मनन करने योग्य, सचित्र जीवन चरित्र ।

खी शिक्षा की अनूठी पुस्तक। साधारण, सजिल्द और राज संस्करण; मूल्य क्रमशः १॥), १॥), ३)

**१२-राजनीति शब्दावली Political Terms—**  
राजनीति के हिन्दी-अंग्रेजी तथा अंग्रेजी—हिन्दी पर्यायवाची शब्दों का उत्तम संग्रह। मूल्य ।—)

**१३-नागरिक शिक्षा Elementary Civics—**सरल भाषा में, सरकार के कार्यों—सेना पुलिस, न्याय, जेल, कृषि, उद्योग-धर्ये, शिक्षा स्वास्थ्य आदि विषयों का विचार। सचित्र। मूल्य ॥)

**१४-ब्रिटिश साम्राज्य शासन Constitution of the Br. Empire—** इंग्लैंड की तथा उसके साम्राज्य के स्वतंत्र तथा परतंत्र उपनिवेशों, एवं अन्य भागों की शासन पद्धति का सरल सुबोध वर्णन। मूल्य केवल ॥=)

**१५-थ्रद्धाऽञ्जलि—**“यह थ्रद्धा के पथ में पूर्वी और पश्चिम, नवीन और प्राचीन, खी और पुरुष, धर्मी और विधर्मी सब की अर्चना कर रही है। वीर पूजा में प्रेरणा, उत्साह और प्राण की मांग की गयी है।” इसमें २९ महापुरुषों के दर्शन हैं। मूल्य केवल ॥=)

**१६-भारतीय नागरिक—**इसमें भारतीय नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों के अतिरिक्त, किसानों, जमीदारों लेखकों, सम्पादकों, विद्यार्थियों और अध्यापकों महिलाओं और दलित जातियों आदि को देशोन्नति के लिए दी जाने वाली सुविधायें बतलायी गयी हैं। मूल्य ॥)

## अन्य पुस्तकें ।

संसार के सम्बन्ध	१०) हिन्दी भाषा में अर्थ शास्त्र -)
भारतीय अर्थ शास्त्र	हमारा प्राचीन गौरव -)
प्रथम भाग १॥)	हिन्दी भाषा में राजनीति -)
“ द्वितीय भाग १ )	भारतीय प्रार्थी ॥)

हमारी पुस्तकों की स्वीकृति

## पाठ्य पुस्तकें ।

हिन्दी साहित्य	( १ ) भारतीय शासन, ( २ )
सम्मेलन	सरल भारतीय शासन, ( ३ ) भारतीय
	राजस्व, ( ४ ) निर्वाचन नियम,
	( ५ ) नागरिक शिक्षा, ( ६ ) विदिशा
	साम्राज्य शासन ।

इन्दौर	भारतीय शासन
काशी विद्यापीठ	“
गुरुकुल काँगड़ी	“
गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ	“
प्रेम महाविद्यालय	( १ ) भारतीय शासन, ( २ )
बृन्दावन	भारतीय विद्यार्थी विनोद, ( ३ )
	नागरिक शिक्षा ।

इसके अतिरिक्त माला की भिन्न भिन्न पुस्तकें संशुक्त प्रान्त, मध्य प्रान्त, गवालियर, बड़ौदा, आदि में पारितोषिक और पुस्तकालयों के लिये स्वीकृत हैं ।

देश प्रेमी पाठकों को ये पुस्तकें मंगाकर पढ़नी चाहिये ।  
प्रत्येक नगर और गांव में इनका प्रचार करने की आवश्यकता है ।